<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग- 1, खंड- 1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/07/2023- डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 29.06.2024

<u>अंतिम जाँच परिणाम</u>

<u>एडीडी (ओआई) - 07/2023</u>

<u>विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "सोलर पैनलों/ मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच।</u>

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि, मैसर्स विशाखा मेटल्स प्रा. लि. (इसके बाद इसे 'आवेदक' के रूप में कहा गया है) ने 'घरेलू उद्योग' की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) के समक्ष अधिनियम और नियमावली के अनुसार, चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "सौर पैनलों/ मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम" (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तुएं" के रूप मं कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जाँच शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2. 2. और जबकि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, नियमावली के नियम 5 के अनुसार एक पाटनरोधी जाँच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 6/07/2023-डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि कथित संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण हो सके और पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी मात्रा की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. जाँच के संबंध में, यहाँ नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :-

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जाँच शुरू करने के लिए कार्यवाही शुरू किए जाने से पूर्व वर्तमान आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत के संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जाँच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2023 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

iii. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास और संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को जाँच शुरू करने के लिए अधिसूचना की एक प्रति भेजी।

iv. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को भी जाँच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति प्रदान की और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति भी प्रदान की। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी परिचालित की गई।

vi. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश में उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति उन्हें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ भी भेजी गई।

vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना की मांग करते हुए, संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :

i. एकोम मेटल्स टेक्नोलॉजी
ii. एकोम मेटल्स टेक्नोलॉजी नानटोंग कंपनी लि.
iii. अर्कोट अलुमियुम सैन टिक ए एस
iv. बोसार्ड फास्टनिंग सॉल्यूसंस
v. ब्रेव सी एच सप्लाई कं. लि.
vi. सिएल एट टेरे ताइवान कं. लि.
vii. गुआंगज़ौ रक्सिंग टेक्नोलॉजी
viii. गुआंगज़ौ रक्सिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं. लि.
ix. एनफेज एनर्जी इंक
x. गुआंगज़ौ रक्सिंग टेक्नोलॉजी
xi. गुआंगज़ौ रक्सिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं.
xii. जिया यू ग्रुप कं. लि.
xiii. जियांग्सू यूजिया मेटैलिक टेक्नोलॉजी
xiv. जियानगिन एनोर न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं. लि.
xv. झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी
xvi. झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं.
xvii. झुहाई गमी सोलर इक्विपमेंट कं. लि.
xviii. झेजियांग जिंको सोलर कं. लि.
xix. जियानगिन ऑप्टिमल मेटल टेक्नोलॉजी
xx. जियानगिन तियानमु ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
xxi. जियानगिन टिनज़े न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
xxii. जियानगिन युआनशैंग एल्युमीनियम कं.
xxiii. जियानगिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी सीसी लि.

xxiv. जियानगिन न्यू सुलव टेक्नोलॉजी

xxv. जियानगिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कं. लि.

xxvi. जियानगिन युरुन सोलर मॉड्यूल कं. लि.

xxvii. लीड सोलर होल्डिंग्स कं. लि.

xxviii. लकी हार्वेस्ट कं. लि.

xxix. जियानगिन हैहोंग न्यू एनर्जी

xxx. जियानगिन न्यू सुलव टेक्नोलॉजी कं. लि.

xxxi. जियानगिन युआनशेंग एल्युमीनियम कं. लि.

xxxii. नॉन्टॉन्ग टी-सन न्यू एनर्जी कं. लि.

xxxiii. पॉवरचाइना ट्रेल सॉल्यूशन ग्रुप लि.

xxxiv. शुंदे नेटिव प्रोड्यूस इम्पोर्ट एक्सपोर्स कं. लि.

viii. जाँच शुरू करने की अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया है :-

i. जियानगिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी क. लि.
ii. जियानगिन हैहोंग सॉलिड-एफएसडब्ल्यू कं. लि. और जियानगिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
iii. जियांग्सू यूजिया मेटैलिक टेक्नोलॉजी कं. लि.
iv. जियानगिन टिनजे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि.
v. झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लि. और
vi. जियाक्सिंग यूजिया मेटल प्रोडक्ट्स कं. लि.

ix. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोगकर्ताओं को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना की मांग करते हुए प्रश्नावली भेजी :-

i. ए आर इंटरप्राइजेज
ii. सिएल एट टेरे सोलर प्रा. लि.
iii. एन्के सोलर पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर
iv. एनफेज सोलर एनर्जी प्रा. लि.
v. गोल्डी सोलर प्रा. लि.
vi. ग्रीनब्रिलियंस रिन्यूएबल एनर्जी एलएलपी

vii. एचआर सोलर सॉल्यूशन प्रा. लि.

viii. जिंकसोलर ट्रेडिंग प्रा. लि.

ix. ज्योतिटेक सोलर एलएलपी

x. मुंद्रा सोलर टेक्नोलॉजी

xi. मुंद्रा सोलर एनर्जी लि.

xii. मुंद्रा सोलर प्रा. लि.

xiii. एमवीएम सोलर प्रा. लि.

xiv. पहल सोलर

xv. प्योर सोलर प्रा. लि.

xvi. रिन्यूसिस इंडिया प्रा. लि.

xvii. रुग्ड सोलर प्रोडक्ट्स

xviii. सकुरा प्रीमियर सोलर प्रा. लि.

xix. सोलर सॉल्यूशंस इंडिया

xx. सोवा सोलर लि.

xxi. स्पार्क सोलर टेक्नोलॉजीज एलएलपी

xxii. श्री सवित्र सोलर प्रा. लि.

xxiii. टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लि.

xxiv. विक्रम सोलर लि.

xxv. अग्रवाल रिन्यूएबल एनर्जी

x. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोगकर्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :

i. मैसर्स वारी एनर्जीज लि.

xi. इसके अलावा, जाँच के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों ने भी अनुरोध किए हैं :

i. चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)

ii. जियानगिन न्यू सुलव टेक्नोलॉजी कं. लि.

iii. अवाडा वेंचर्स प्रा. लि.

iv. सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन (एसपीडीए)

v. नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन

vi. सिटिजन सोलर प्राइवेट

vii. कॉस्मिक पीवी पावर प्रा. लि. रीप्रजेन्ट्स

viii. ईएमएमवीईई फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड

ix. मैसर्स ग्रीन ब्रिलियंस रिन्यूएबल एनर्जी एलएलपी

x. इन्सोलेशन एनर्जी लि.

xi. नेविटास ग्रीन सॉल्यूशंस प्रा. लि.

xii. नियोसोल टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.

xiii. नोवासिस ग्रीनर्जी प्रा. लि.

xiv. पिक्सन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

xv. पीवी पावर टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.

xvi. सोलारियम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

xvii. सोलेक्स एनर्जी लि.

xviii. सोवा सोलर लि.

xix. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। घरेलू उद्योग और अवाडा बेंचर्स प्रा. लि. द्वारा ईआईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया गया था।

xiii. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण की अवधि में अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020, अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021, अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 और जाँच की अवधि शामिल है।

xiv. वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आयात डेटा पर भरोसा किया है।

xv. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10.11.2023 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ चर्चा की। इच्छुक पक्षों से इनपुट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 23.11.2023 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन अंतिम उत्पाद को अधिसूचित किया।

xvi. आवेदक से आवश्यकता के अनुसार, आगे की सूचना की मांग की गई। वर्तमान जाँच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन किया गया।

xvii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची अपलोड की गई और साथ ही, उनसे अनुरोध किया गया कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ ई-मेल करें, क्योंकि मौजूदा वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी।

xviii. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के आधार पर, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन की लागत और लगाई गई पूंजी पर तर्कसंगत प्रतिफल के आधार पर क्षति रहित कीमत (इसके बाद इसे "एनआईपी" के रूप में कहा गया है) का निर्धारण किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं।

xix. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 14.02.2024 को आयोजित की गई एक सार्वजनिक सुनवाई में, मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करके अनुरोध दाखिल करें, उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हो, दाखिल करें। हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों के अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

xx. जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, उठाए गए तर्क और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, जहाँ तक वे साक्ष्यों के साथ हैं, और वर्तमान जाँच के लिए प्रासंगिक मानी गई हैं, पर प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।

xxi. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जाँच की गई है और आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल-सत्यापन के दौरान सत्यापन किया गया है तथा वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

xxii. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जाँच की गई है और आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन भी किया गया है तथा वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजन के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

xxiii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को व्यापार सूचना सं. 01/2020 के माध्यम से निर्धारित तरीके से उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना/ अनुरोधों की ऐसे गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। प्राधिकारी के संतुष्ट होने के बाद ऐसी सूचना/ अनुरोधों को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करने तथा उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रसारित करने का निर्देश दिया गया।

xxiv. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर, इस सीमा तक विचार किया गया है कि वे साक्ष्यों से समर्थित है और वर्तमान जाँच के लिए प्रासंगिक मानी गई हैं।

xxv. जहाँ कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच होने से इंकार किया है या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है या जाँच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रकटीकरण विवरण दर्ज किया है।

xxvi. इस प्रकटीकरण विवरण में '***' गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत उस पर विचार किया गया है।

xxvii. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 अमेरिकी डॉलर = 81.20 रु. है।

ग. ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जाँच शुरुआत की अवस्था में, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था :-

"3. विचाराधीन उत्पादन चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोलर पैनल्स/ मॉड्यूल्स के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम" है। सोलर पैनल/ मॉड्यूल के लिए एल्युमिनियम फ्रेम को प्रसिद्ध रूप से बाजार में एल्युमिनियम फ्रेम के नाम से जाना जाता है। यह उत्पाद सोलर पैनल/ मॉड्यूल की समग्र एसेम्बली में मौलिक भूमिका निभाता है। इसके अलावा, आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार के एल्युमिनियम फ्रेमों को कवर करता है।

सोलर पैनल्स/ मॉड्यूल्स के लिए एल्युमिनियम फ्रेम थर्मल और यांत्रिक तनावों से आंतरिक घटकों का संरक्षण करता है, दूसरी ओर यह अटैचमेंट प्वाइंट भी उपलब्ध कराता है। अधिकांश सोलर पीवी पैनल एल्युमिनियम फ्रेम के साथ फिट होते हैं जो टॉप पर ग्लास कवरिंग तथा नीचे सोलर बैक शीट को पकड़े रखता है। एल्युमिनियम की आघातवर्धिता से विनिर्माता को उपभोक्ता की जरूरत के अनुसार आकार बनाने में मदद मिलती है। इस प्रकार, इससे घटकों का सपोर्ट बढ़ता है और बैटरी की सर्विस लाइफ बढ़ती है।"

5. कथित पाटित वस्तुओं को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 शीर्षक - एल्युमिनियम और तत्संबंधी वस्तुएं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि इसे कंपनी से कंपनी और देश से देश में विभिन्न कोडों के अंतर्गत आयात किया जाता है और यह मुख्य रूप से शीर्षकों 7610 और 7616 के अंतर्गत होता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित सीमा-शुल्क वर्गीकरण के तहत भी आयात किया जा रहा है : 76109010, 76109020, 76109030, 76109090, 7616, 76161000, 76169910, 76169990 शामिल है। यह सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण अत्यधिक अनिश्चित, अस्पष्ट और अनुचित है। आवेदक द्वारा सौर मॉड्यूलों में अंतिम उपयोग तक सीमित विचाराधीन उत्पाद के निर्धारण को उचित ठहराने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। वास्तव में, याचिका विचाराधीन उत्पाद की कोई स्पष्ट पहचान प्रदान नहीं करती है और संबद्ध वस्तुओं की पहचान के लिए कोई तकनीकी या वाणिज्यिक मानदंड प्रदान करने में विफल रही है।

ii. विचाराधीन उत्पाद को जानबूझ कर अस्पष्ट और संदिग्ध रखा गया है, जिससे आयातित उत्पादों और आवेदक द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कथित उत्पाद के बीच कोई उचित या स्पष्ट तुलना नहीं की जा सकती है।

iii. सौर मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम आवेदक द्वारा परिभाषित अन्य एल्यूमिनियम फ्रेम से अलग नहीं है। यह भी अनुरोध किया गया है कि शुल्क के दायरे से बाहर की गई सभी वस्तुएं अनजाने में शुल्कों के दायरे में आ जाएंगी। भारत में निर्मित एल्यूमिनियम के निष्कासन और आवेदक द्वारा दावा किए गए विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई तकनीकी या वाणिज्यिक अंतर नहीं है।

iv. आवेदक उपयोगकर्ता उद्योग के मात्रात्मक और गुणवत्ता मापदंडों को सख्ती से पूरा करने में सक्षम नहीं है और इसीलिए, अंतिम उपयोगकर्ता विशेष ग्रेड का आयात करने के लिए मजबूर है, जिनकी घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जाती है।

ग.2. <u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है :-

i. दिनांक 14.02.2024 की सुनवाई के दौरान, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में स्पष्टता की कमी की आशंका जताते हुए चिंता जताई। उन्होंने विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करते समय "एनोडाइज्ड" शब्द को शामिल करने का अनुरोध किया। घरेलू उद्योग का कहना है कि विचाराधीन उत्पाद अर्थात् सौर पैनलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम, परिभाषा के अनुसार एनोडाइज्ड होना चाहिए और इसलिए विवरण सही है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किए जाने के बाद और पूर्ण स्पष्टता के लिए, यदि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को संशोधित किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को कोई आपत्ति नहीं है, जैसे कि *"विचाराधीन उत्पाद*

चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सौर पैनलों/ मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम फ्रेम है.........।"

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि आवेदन में जांच में गैर-सौर ग्रेड एल्यूमिनियम प्रोफाइल को शामिल करने का प्रयास किया गया है। स्पष्ट रूप से, उक्त पक्ष या तो गलतफहमी में है या वह गलत धारणाएं/ दावे करके जाँच को पटरी से उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

iii. सौर मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम विशिष्ट प्रोफाइल वाले अलग ही उत्पाद है, जो केवल निर्दिष्ट अनुप्रयोग अर्थात् सौर मॉड्यूलों के लिए ही उपयुक्त हैं। इसके अलावा, सौर मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मिश्र धातु ग्रेड (अलॉय ग्रेड) सौर मॉड्यूलों की कठोरता की अपेक्षाओं के कारण किसी अन्य अनुप्रयोग के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिश्रधातु (अलॉय) से अलग है।

iv. अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग 61215 (आईईसी 61215) के अनुसार, सौर मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम को मैकेनिकल लोड टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें सौर मॉड्यूलों पर दबाव डालने के लिए ऊपर 5400 पास्कल का बल/ भार डाला जाता है। ऐसी स्थिति में, विचाराधीन उत्पाद को सौर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होने के लिए बल/ भार का सामना करना होगा। किसी अन्य अनुप्रयोग के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए ऐसा कोई मानक लागू नहीं है।

v. गैर-सौर अनुप्रयोगों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम को सामान्यतः किसी प्रकार से एनोडाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आर्किटेक्चरल अनुप्रयोगों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम को भी एनोडाइज्ड करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे सामान्यतः कलर कोटिंग में होते हैं। किसी असामान्य मामले में, जहाँ गैर-सौर अनुप्रयोगों के लिए अनोडाइज करने की जरूरत होती है, कोटिंग सौर अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक पोटिंग से काफी कम होती है। प्रोफाइल, यांत्रिक शक्ति, उपयोग किए गए अलॉय और एनोडाइजिंग कोटिंग की सीमा जैसे उपरोक्त कारकों पर विचार करने से सौर मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम स्पष्ट रूप से अलग-अलग उत्पाद बन जाएंगे।

vi. मार्च, 2022 तक सौर मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम को सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी और ऐसे एल्यूमिनियम फ्रेम को अन्य उद्देश्यों के लिए प्रोफाइल से अलग करने में कोई कानूनी या परिचालन संबंधी समस्या नहीं थी।

vii. यह तथ्य कि प्रमुख एल्यूमिनियम बहिष्करण (एक्सट्रजन) निर्माता, हिंडाल्को ने स्वयं ही स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की है कि वे विचाराधीन उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं, जो यह दर्शाता है कि सौर संबंधी अनुप्रयोगों और अन्य अनुप्रयोगों के लिए एल्यूमिनियम प्रोफाइल में महत्वपूर्ण और अलग-अलग अंतर है।

viii. हितबद्ध पक्षकारों ने यह बताने के लिए "कोई प्रकट अंतर नहीं" जैसे मानदंडों का उपयोग किया है कि सौर मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम किसी भी अन्य अनुप्रयोगों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम के समान है। केवल "कोई प्रकट अंतर नहीं" होने से अन्य प्रकार के एल्यूमिनियम फ्रेम को विचाराधीन उत्पाद के साथ बदला नहीं जा सकता।

ix. जाँच शुरुआत के समय, हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समान मुद्दों को उठाया था और निदेशालय से प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने से पहले ऐसे मामलों पर निष्कर्ष देने का अनुरोध किया था। हितबद्ध पक्षकार प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने में यह कहते हुए विलंब करते रहे कि प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने से पूर्व विचाराधीन उत्पाद को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि जबकि वर्तमान जाँच 30.06.2023 को शुरू की गई थी, लेकिन पक्षकारों ने दिनांक 07.12.2023 तक अर्थात् जाँच के 5 माह से भी अधिक समय बाद तक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे अभ्यावेदनों के आधार पर, प्राधिकारी ने 10.11.2023 को सभी हितधारकों के साथ बैठक की।

x. तथापि, हितबद्ध पक्षकारों के स्वयं के अनुरोध पर बैठक निर्धारित किए जाने के बावजूद, उन्होंने बैठक के दौरान निदेशालय के समक्ष नहीं आने का विकल्प चुना। इस प्रकार प्राधिकारी ने दिनांक 23.11.2023 के आदेश के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद को अंतिम रूप दिया। केवल इसी मुद्दे के कारण 5 माह से भी अधिक समय तक कई बार समय विस्तार लेने के बाद हितबद्ध पक्षकारों को पुनः उसी मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

ग.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

8. जाँच शुरुआत की सूचना में विचाराधीन उत्पाद को "सौर पैनलों/ मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम" के रूप में परिभाषित किया गया था।

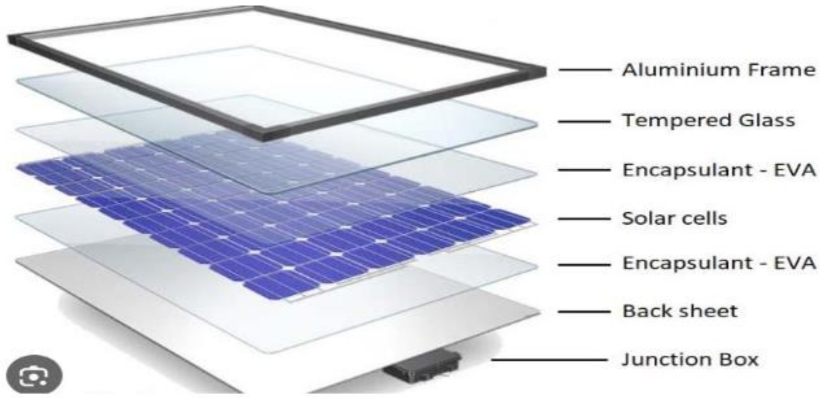

9. जाँच शुरू होने के बाद, प्राधिकारी को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें कहा गया कि घरेलू उद्योग द्वारा परिभाषित और जाँच शुरू होने की सूचना में निहित विचाराधीन उत्पाद अस्पष्ट था। उन्होंने प्राधिकारी से ऐसे मामलों पर शुरू में ही निर्णय लेने और प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने से पहले विचाराधीन उत्पाद का निपटारा करने का अनुरोध किया। ऐसे विभिन्न अनुरोध प्राप्त होने पर, प्राधिकारी ने दिनांक 10.11.2023 को विचाराधीन उत्पाद का दायरा तय करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बैठक की। तथापि, बैठक के दौरान ऐसे मामलों पर घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी अन्य की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद (पीवीसी) और पीसीएन पर अपने लिखित अनुरोध दाखिल करने का अवसर प्रदान किया। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि किसी अन्य पक्षकार ने वर्तमान मामले में पीवीसी/ पीसीएन के संबंध में बैठक के दौरान कोई मुद्दा नहीं उठाया, प्राधिकारी ने दिनांक 23.11.2023 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद को अंतिम रूप दिया।

10. विचाराधीन उत्पाद का कोई भी समर्पित एचएसएन कोड नहीं है। तथापि, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि संबद्ध वस्तुओं का आयात सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उप-शीर्षों 76109010, 76109030 तथा 76169990 के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से यह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. घरेलू उद्योग द्वारा आयातकों द्वारा अपेक्षित द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को पूरा न कर पाने से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के आवेदनों के संबंध में, यह नोट किया जाता है

कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आरोपों के अलावा, इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी भी मामले में, यह स्थापित न्यायशास्त्र है कि गुणवत्ता पाटनरोधी जांच में प्रासंगिक मापदंड नहीं है।

12. जहां तक विचाराधीन उत्पाद की अस्पष्टता का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद को विशिष्ट उपयोग आधार कवरेज के साथ बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि मार्च, 2022 तक सौर अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम को सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी और अन्य प्रयोजनों के लिए फ्रेम/प्रोफाइल से विचाराधीन उत्पाद को अलग करने में कोई कानूनी या परिचालन संबंधी समस्या नहीं थी।

13. "समान वस्तु" की परिभाषा से संबंधित नियमावली के नियम 2 (घ) के अनुसार यह निर्दिष्ट किया गया है कि "समान वस्तु" से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है, जो भारत में पाटित किए जाने के लिए जांच के तहत वस्तु के सभी मामलों में समान अथवा सदृश है या ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में, कोई अन्य वस्तु, जो सभी मामलों में समान तो नहीं है, लेकिन जाँच के तहत वस्तुओं के समान विशेषताएं रखती हैं।

14. प्राधिकारी ने उपरोक्त और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पादन भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों और संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में समान वस्तुएं हैं। ये दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय है।

15. इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, पाटनरोधी नियमों के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

16. विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करते समय “एनोडाइज्ड” शब्द के उपयोग के लिए विवाद के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए “एनोडाइजिंग” एक पूर्व शर्त है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद में अधिक निश्चितता लाने के लिए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में “एनोडाइज्ड” शामिल करने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

17. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित करने का प्रस्ताव करते हैं : *“सौर पैनलों/ मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम फ्रेम”*।

18. विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित एचएसएन कोड नहीं है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के उप शीर्षकों 76109010, 76109030 और 76169990 के अंतर्गत किया जा रहा है।

घ. घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और आधार</u>

घ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. आवेदक ने सौर पैनलों/ मॉड्यूलों के लिए एनोडाइज्ड ‘एल्यूमिनियम फ्रेम’ का एकमात्र उत्पादक होने का दावा किया है, जिसे बाजार में केवल ‘एल्यूमिनियम फ्रेम’ के रूप में जाना जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, सौर मॉड्यूल के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम बनाना फोटोग्राफ/ चित्र के लिए फ्रेम बनाने के समान है और यह कार्यशालाओं/ छोटी दुकानों में किया जाता है और आवेदक की उक्त गतिविधि में देश में हिस्सेदारी 0.1 प्रतिशत भी नहीं है। जिस उत्पाद पर शुल्क की मांग की गई है, वह मूल रूप से एल्यूमिनियम प्रोफाइल और खंड है, जिसका उत्पादन भारत में हिंडाल्को और अन्य स्मेल्टर जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है।

ii. संबद्ध वस्तुओं के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं, जिनकी जानकारी घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट नहीं की गई है। आवेदक के पास सौर पैनलों और मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम पर शुल्क लगाने के लिए आवेदन करने का कोई आधार नहीं है।

iii. विशाखा ने अपने लिखित अनुरोध में कहा है कि अन्य प्रसंस्करणकर्ता भी हैं, जो अर्ध-तैयार सामग्रियों का प्रसंस्करण (सतही उपचार, निर्माण आदि) करते हैं। यह सूचना विशाखा द्वारा अपने आवेदन में प्रदान नहीं की गई थी। यह केवल अब प्रदान की जा रही है, क्योंकि मौखिक सुनवाई के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र उत्पादक के रूप में विशाखा की स्थिति पर प्रश्न उठाया गया था। यह प्राधिकारी को गुमराह करने के प्रयास के अलावा और कुछ भी नहीं है।

iv. आवेदक ने दावा किया है कि वे संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता के उक्त कथन झूठे और भ्रामक हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता की एक संबद्ध कंपनी है, जिसका नाम मुंद्रा सोलर पीवी लि. है, जो चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का एक आयातक है। तथापि, याचिकाकर्ता ने मौखिक सुनवाई में मुंद्रा सोलर पीवी लि. के साथ अपने संबंधों से इनकार किया है और कहा है कि उसकी कोई संबद्ध कंपनी हैं, जो संबद्ध वस्तुओं की आयातक है।

v. नियम 2(ख) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जो उत्पादक आयातक है अथवा आयातकों से संबद्ध है, उन्हें घरेलू उद्योग शब्द से बाहर रखा जाएगा। याचिकाकर्ता मुंद्रा सोलर एनर्जी लि., मुंद्रा सोलर पीवी लि. और मुंद्रा टेक्नोलॉजी लि. से संबंधित है। ये सभी कंपनियाँ संबद्ध वस्तुओं की आयातक हैं और आवेदक से संबद्ध वस्तुओं की प्रमुख खरीदार हैं। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर याचिका में इस तथ्य को छिपाया है और 14 फरवरी, 2024 को आयोजित मौखिक सुनवाई के दौरान किसी भी आयातक के साथ संबंध से इनकार किया है।

vi. याचिकाकर्ता कंपनी विशाखा मेटल्स प्रा. लि., अहमदाबाद स्थित विशाखा समूह और अदानी प्रोपर्टीज प्रा. लि. (एपीपीएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें क्रमशः 60 : 40 के अनुपात में हिस्सेदारी है। अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. विशाखा मेटल्स प्रा. लि. की मुख्य शेयर धारक है और इस प्रकार याचिकाकर्ता पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखता है। इसके अलावा, अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि., अदानी ग्रीन एनर्जी लि. की एक धारक (होल्डिंग) कंपनी है, जो मुंद्रा सोलर पीवी लि. और मुंद्रा सोलर एनर्जी लि. की भी धारक कंपनी है।

vii. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में दायर मुंद्रा सोलर पीवी लि. की वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से (क) मुंद्रा सोलर पीवी लि. और अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. और (ख) मुंद्रा सोलर पीवी लि. तथा विशाखा मेटल्स प्रा. लि. के बीच संबध प्रदान करती है।

viii. विशाखा मेटल्स प्रा. लि., मुंद्रा सोलर पीवी लि., मुंद्रा सोलर एनर्जी लि. और मुंद्रा सोलर टेक्नोलॉजी लि. नामक चारों कंपनियों के बीच एक ही निवेशक है। यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से स्पष्ट हो जाता है।

ix. याचिकाकर्ता ने जानबूझकर गलत घोषणा और प्रमाणन करके प्राधिकारी को गुमराह किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह जाँच शुरू की गई है। यदि याचिकाकर्ता ने यह जानकारी बताई होती, तो प्राधिकारी ने यह जाँच शुरू नहीं की होती। अतः वर्तमान जाँच को केवल इसी आधार पर समापत किया जाना चाहिए।

घ.2. <u>अन्य घरेलू उत्पादक, मैसर्स हिडाल्को इंडस्ट्रीज लि. द्वारा किए गए अनुरोध</u>

i. मैसर्स विशाखा मेटल्स प्रा. लि. ("विशाखा") वर्तमान में देश में सौर पैनलों/ मॉड्यूलों के लिए पूरी तरह से निर्मित एल्यूमिनियम फ्रेम का एकमात्र निर्माता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जाँच की अवधि ("पीओआई") के दौरान ऐसी वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री नहीं की है। पीओआई के बाद हिंडाल्को ने अपनी मौजूदा सुविधाओं में से एक में परीक्षण उद्देश्यों के लिए ऐसे उत्पादकों की एक छोटी मात्रा का उत्पादन किया है।

ii. हिंडाल्को की योजना ऐसे उत्पादकों को एक समर्पित सुविधा में बनाने की है, चीन जन. गण. द्वारा ऐसे उत्पादकों का लगातार पाटन किया जाना और सब्सिडी प्रदान करना उसे ऐसा करने से रोकता है। यदि इस तरह के अनुचित व्यापार को उचित तरीके से संबंधित किया जाता है, जिसमें वर्तमान जाँच भी शामिल है, तो हिंडाल्को बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

iii. चीन जन. गण. के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाने से न केवल विशाखा से नए निवेश की सुविधा भी मिलेगी। अतः हिंडाल्को चीन जन. गण. से सौर मॉड्यूलों के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है।

घ.3. <u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

20. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

i. अन्य उत्पादकों की मौजूदगी के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, केवल यह दर्शाते हैं कि कुछ घरेलू भागीदार भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का "प्रस्ताव" या "विपणन" कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर एक छोटा सा साक्ष्य भी नहीं रखा गया है, जो यह संकेत दे सके कि ऐसे घरेलू भागीदार संबद्ध वस्तुओं का "उत्पादन" कर रहे हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संबद्ध वस्तुओं का केवल "प्रस्ताव" अथवा "विपणन" करने का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसी संस्थाएं संबद्ध वस्तुओं का "उत्पादन" कर रही है।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने सुविधाजनक रूप से इस बात को नजरअंदाज कर दिया है कि आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन के साथ-साथ जाँच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ प्रसंस्करणकर्ता हैं, जो अर्ध-तैयार सामग्री पर सामग्री प्रसंस्करण (सतही उपचार, निर्माण आदि) करते हैं, जो किसी भी तरह से आवेदक के दायरे को प्रभावित नहीं करता है।

iii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क न केवल गलत हैं, बल्कि उनके अपने अनुरोधों के विरोधाभाषी भी हैं। एक ओर हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि आवेदक का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का केवल न्यूनतम प्रतिशत है, जबकि दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि देश में मांग और आपूर्ति में महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों परस्पर अनन्य और एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि हितबद्ध पक्षकार जाँच में देरी करने और घरेलू उद्योग को आवश्यक संरक्षण से वंचित करने के अपने प्रयास में बिना किसी तथ्यात्मक आधार के निराधार दावे कर रहे हैं।

iv. यह अविश्वास का विषय है कि हितबद्ध पक्षकार यह दावा करना जारी रखते हैं कि हिंडाल्को देश में विचाराधीन उत्पाद के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि हिंडाल्को ने स्वयं ही अपने दिनांक 10.11.2023 के पत्र के माध्यम से और साथ ही 14.02.2024 को सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्माण नहीं किया है। हिंडाल्को द्वारा स्वयं ही किए गए ऐसे स्पष्ट और असंदिग्ध दावे के बावजूद, हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि हिंडाल्को संबद्ध वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक है, यह समझ से परे है।

v. संबद्ध वस्तुओं के आयातकों के साथ आवेदक के संबंधों के बारे में सुनवाई के दौरान कुछ मुद्दे उठाए थे। जैसा कि सुनवाई के दौरान उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों ने

अपने गलत दावों के लिए तथ्यात्मक मैट्रिक्स या कानूनी आधार को स्पष्ट रूप से सामने लाए बिना केवल कुछ बयान दिए।

vi. अप्रमाणित और निराधार आरोप लगाने के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक और एमएसपीवीएल या संबद्ध वस्तुओं का आयात करने वाले किसी अन्य पक्ष के बीच संबंध को प्रदर्शित करने का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। प्रतिवादी हितधारक पक्षकारों को बेबुनियाद आरोपों, अटकलों और अनुमानों के आधार पर निराधार तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह स्मरणीय है कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि प्रतिवादियों को कम से कम निराधार दावों के आधार को स्पष्ट करना चाहिए, जिसके अभाव में घरेलू उद्योग उत्तर देने की स्थिति में नहीं होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो सुनवाई के दौरान और न ही अपने लिखित अनुरोधों में, प्रतिवादियों ने अपने दावों को विस्तृत करने या उनके दावों के समर्थन में साक्ष्य मात्र प्रदान करने का प्रयास किया है।

vii. जब सुनवाई के दौरान उक्त पक्षकारों द्वारा इसी तरह के आरोप लगाए गए, तो माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विशेष रूप से ऐसे पक्षकारों से कम से कम *प्रथम दृष्टया* आधार पर ऐसे आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य प्रदान करके अपने सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा। तथापि, दुर्भाग्य से इस स्तर पर भी ऐसा कोई कानूनी आधार या साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। हितबद्ध पक्षकारों ने सबूत प्रस्तुत करने की बजाय आवेदक पर ही यह साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी कि वह एमएसपीवीएल से संबद्ध नहीं है।

viii. ऐसे आरोप लगाते समय, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किया गया एकमात्र दस्तावेज, केयर रेटिंग्स लि. की कुछ रिपोर्टों के कुछ पैराग्राफ हैं। इस संदर्भ में यह अनुरोध किया गया है कि उक्त रिपोर्ट किसी भी जानकारी या अवलोकन का आधार नहीं बन सकती, जो कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में आवेदक और एमएसपीवीएल के बीच किसी भी संबंध का यहां तक कि दूर से सुझाव दे सके।

ix. नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में "संबंध" के अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। बंगला देश, ताइवान, कोरियन गणराज्य, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोजन परऑक्साइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच के मामले में, प्राधिकारी द्वारा इस पर विस्तार से चर्चा की गई [फाइल सं. 14/3/2015-डीजीएडी, दिनांक 11 अप्रैल, 2017]।

x. हाइड्रोजन परऑक्साइड मामले में, निदेशालय ने संबंधित कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण शेयरधारिता के बावजूद यह माना कि यह कानूनी या परिचालनीय नियंत्रण को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, निदेशालय ने यह भी असंगत और अपर्याप्त पाया कि संबंधित कंपनी आवेदक उद्योग की प्रमोटर थी। प्राधिकारी ने माना कि नियमावली के नियम 2 (ख) के संदर्भ में "संबंध" को स्थापित करने के लिए, "इस बात का साक्ष्य होना चाहिए कि संगत घरेलू उत्पादक ने संबंध होने के कारण अलग तरीके से काम किया है या पाटन प्रथाओं में भाग लिया है और ऐसे कदम उठाए हैं, जिनमें प्रत्यक्ष "कानूनी या परिचालन संबंधी नियंत्रण" के साक्ष्य के अलावा, वर्तमान मामले के तथ्यों में, उक्त मामले में प्राधिकारी द्वारा बताई गई सभी आवश्यकताओं की स्पष्ट अनुपस्थिति के अलावा, आवेदक और एमएसपीवीएल के बीच कोई साझा शेयरधारिता नहीं है।

xi. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदक अदानी समूह के लिए एक बैकवार्ड इंटिग्रेटेड संयंत्र है या आवेदक एमएसपीवीएल के साथ रणनीतिक भागीदारी में है, यह अनुरोध किया जाता है कि उक्त अनुरोध बिना किसी महत्व के होने के अलावा अप्रासंगिक है।

xii. जबकि प्रतिवादियों के निराधार दावों का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है, केवल डाउनस्ट्रीम उत्पाद के उत्पादक के साथ रणनीतिक साझेदारी की मौजूदगी आवेदक को अयोग्य नहीं बनाती। नियम 2(ख) के अनुसार किसी घरेलू उत्पादक को अयोग्य ठहराने के लिए प्रत्यक्ष कानूनी या परिचालन संबंधी नियंत्रण के साक्ष्य के अलावा, इस बात का भी सबूत होना चाहिए कि घरेलू उत्पादक ने संबंधों के कारण अलग तरीके से काम किया है या पाटन प्रथाओं में भाग लिया है और ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे स्वयं को ही क्षति पहुंचती हो। उक्त कोई भी शर्त केवल रणनीतिक भागीदारी होने के कारण मौजूद नहीं हो सकती।

घ.4. <u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा

हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

22. यह आवेदन मैसर्स विशाखा मेटल्स प्रा. लि. द्वारा दाखिल किया गया था, जिसमें उसने संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र घरेलू उत्पादक होने का दावा किया था।

23. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों के इस कथन का संबंध है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. जैसी कंपनियाँ संबद्ध वस्तुओं की प्रमुख उत्पादक हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसे दावों की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं हैं। वास्तव में, मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. ने स्वयं प्राधिकारी के समक्ष यह कथन प्रस्तुत किया है कि जाँच की अवधि के दौरान आवेदक संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक था। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने जाँच की अवधि के बाद संबद्ध वस्तुओं का बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन किया है।

24. जहाँ तक इस कथन का संबंध है कि आवेदक ने अपनी याचिका में यह प्रकटन नहीं किया है कि कुछ प्रसंस्करणकर्ता हैं, जो अर्ध तैयार सामग्रियों का प्रसंस्करण (सतह उपचार, निर्माण आदि) करते हैं, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि ऐसा कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है। आवेदक ने प्रश्न VI (घ) के उत्तर के भाग-1 में स्पष्ट रूप से उक्त तथ्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार ऐसे अनुरोध निराधार हैं और अस्वीकृत किए जाते हैं।

25. निर्यातकों के इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक मुंद्रा सोलर एनर्जी लि., मुंद्रा सोलर पीवी लि. और मुंद्रा सोलर टेक्नोलॉजी लि. से संबंधित है। प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि लिखित आवेदन दाखिल करने के चरण तक निर्यातकों द्वारा इसके लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था। वास्तव में, प्राधिकारी ने दिनांक 14.02.2023 को मौखिक सुनवाई के दौरान निर्यातकों से विशेष रूप से ऐसे आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करके साक्ष्य प्रदान करने के लिए कहा था। इसके बावजूद, निर्यातकों द्वारा सुनवाई के दौरान या उनके लिखित अनुरोध में ऐसा कोई साक्ष्य/ सूचना प्रदान नहीं की गई।

26. इसके अलावा, आवेदक कंपनी के बारे में यह आरोप कि वह अदानी ग्रीन लि. में मैसर्स अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (जो आवेदक कंपनी में *** प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है, की शेयरधारिता के माध्यम से उपरोक्त दिए गए नामों वाले अव्यातकों से संबंधित है, निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए प्रत्युत्तर आवेदन में पहली बार लगाए गए थे। आयातकों के साथ आवेदक के कथित संबंधों के बारे में साक्ष्य भी निर्यातकों द्वारा दायर प्रत्युत्तर में पहली बार प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा, उक्त प्रत्युत्तर अनुरोधों को निर्यातकों द्वारा घरेलू उद्योग के साथ साझा नहीं किया गया था। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के समक्ष पूरी जाँच प्रक्रिया के दौरान ऐसे तर्कों को कमी नहीं उठाया गया और न ही उनसे संबंधित साक्ष्य उन्हें प्रदान किए गए।

27. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में यह एक स्थापित स्थिति है कि सभी आरोपों और साक्ष्यों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया जाए। इस संबंध में निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध और प्रदान किए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से विलंब से हैं। इसके अलावा, उन्हें घरेलू उद्योग को उनके हितों का संरक्षण करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। निर्यातकों द्वारा अनुरोधों में यह गंभीर उल्लंघन ऐसे अनुरोधों और साक्ष्यों को अस्वीकार करने योग्य बनाता है। तथापि, आरोपों की प्रकृति और ऐसे आरोपों के प्रभाव पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने इस मामले की जाँच करने का निर्णय लिया है।

28. प्राधिकारी ने सभी संबंधित संस्थाओं, अर्थात् मुंद्रा एनर्जी लि., मुंद्रा सोलर पीवी लि. और मुंद्रा सोलर टेक्नोलॉजी लि., अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि., अदानी ग्रीन एनर्जी लि. और आवेदक के शेयरधारिता पैटर्न से संबंधित सूचना की जाँच की है, साथ ही इनमें से प्रत्येक कंपनी में बहुसंख्यक शेयरधारकों के शेयरधारिता पैटर्न की भी जाँच की है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक और आयातक संस्थाओं के बीच कोई क्रॉस शेयरधारिता नहीं है। इसके अलावा, आवेदक कंपनी में छोटे शेयरधार अर्थात् अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. के पास भी किसी भी आयातक कंपनी में कोई शेयरधारिता नहीं है और न ही ऐसी आयातक संस्थाओं के पास आवेदक कंपनी या अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. में कोई

शेयरधारिता है। इसके अलावा, अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. के शेयरधारकों के पास भी किसी भी आयातक संस्था में कोई प्रत्यक्ष शेयरधारिता नहीं है।

29. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक रिपोर्ट के अंशों मं छोटे शेयरधारक, अर्थात् अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लि. और आवेदक का अदानी ग्रीन एनर्जी लि., मुंद्रा सोलर पीवी लि. और मुंद्रा सोलर एनर्जी लि. के साथ संबंध होने का प्रकटन किया गया है। प्राधिकारी ने इसे नोट किया है कि उक्त अंशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस तरह के प्रकटन को भारतीय लेखांकन मानक 24 (इंड एएस 24) संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के अनुसार सूचित किया जा रहा है। इंड एएस 24 में संबंधित पक्षकार को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :-

"संबंधित पक्ष (या पार्टी) से आशय उस व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान से है, जो उस प्रतिष्ठान से जुड़ा है जो वित्तीय विवरणों को तैयार करता है, (प्रस्तुत मानक में इसे 'रिपोर्टिंग या विचाराधीन प्रतिष्ठान' कहा गया है)। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(क) एक व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति के परिवार का नजदीकी सदस्य जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है और वह व्यक्ति -

(i) रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से अकेले अथवा संयुक्त रूप से नियंत्रण रखता हो;
(ii) रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता हो;
(iii) रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान अथवा उसके मूल प्रतिष्ठान के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो।

(ख) एक प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से संबंधित है यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्तें पूरी करता हो :

(i) प्रतिष्ठान और रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान एक ही समूह के सदस्य हों (इसका अर्थ है कि मूल प्रतिष्ठान, उसकी अनुषंगी तथा सम-अनुषंगी किसी दूसरे से संबंधित है)।
(ii) एक प्रतिष्ठान दूसरे प्रतिष्ठान का सहायक अथवा संयुक्त उद्यम हो (अथवा एक सहायक अथवा संयुक्त उद्यम उसी समूह के सदस्य हों, जिसका दूसरा प्रतिष्ठान सदस्य हैं)।
(iii) दोनों प्रतिष्ठान तृतीय पक्ष (पार्टी) के संयुक्त उद्यम हों;

(iv) एक प्रतिष्ठान तृतीय प्रतिष्ठान का संयुक्त उद्यम है जबकि दूसरा प्रतिष्ठान तीसरे प्रतिष्ठान का सहायक प्रतिष्ठान है;

(v) प्रतिष्ठान उन कर्मचारियों की नियोजन पश्चात् लाभ योजना है जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान या उससे संबंधित प्रतिष्ठान से संबंधित हों। यदि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान स्वयं ही ऐसी एक योजना हो तो नियोक्ताओं के प्रायोजक भी रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से संबंधित हैं।

(vi) प्रतिष्ठान पर मद सं. (क) में दिए गए किसी व्यक्ति का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण हों;

(vii) व्यक्ति जिसकी पहचान मद सं. (क) (i) के तहत की गई है, उसका प्रतिष्ठान के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव हो, अथवा वह प्रतिष्ठान (अथवा मूल प्रतिष्ठान) के प्रमुख प्रबंध तंत्र के कर्मचारी - वर्ग का सदस्य हो।

(viii) प्रतिष्ठान या इसके अंश के रूप में एक समूह का कोई सदस्य रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान या उनके मूल प्रतिष्ठान को प्रमुख प्रबंधन कार्मिक सेवाएं देता है।"

30. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि भारतीय लेखांकन मानक 24 में संबंधित पक्ष शब्द की परिभाषा और दायरा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में संबंधित पक्ष की तुलना में बहुत व्यापक है, जिसके लिए बहुत संकीर्ण परिभाषा प्रदान की गई है। नियम 2(ख) की व्याख्या में संबंधित पक्ष को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :-

व्याख्या - इस खण्ड के प्रयोजनार्थ -

(i) उत्पादकों को केवल उसी स्थिति में निर्यातकों या आयातकों से संबंधित माना जाएगा यदि, -

(क) उनमें से कोई एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता हो; अथवा

(ख) दोनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हों; अथवा

(ग) दोनों मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों, बशर्ते इस बात पर विश्वास करने या आशंका करने का आधार हो कि

उनके संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादक असंबंधित उत्पादकों से अलग प्रकार का व्यवहार करते हों।

(ii) किसी उत्पादक को दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण रखने वाला तभी माना जाएगा जब उत्पादक उस अन्य उत्पादक पर दबाव डालने या निर्देश देने की विधिक या प्रचालनात्मक स्थिति में हो।

31. उपरोक्त से यह नोट किया जा सकता है कि भारतीय लेखांकन मानक 24 (इंड एएस 24) के विपरीत, पाटनरोधी नियमावली में संबंधित पक्ष शब्द के दायरे को "केवल यदि" शब्द के प्रयोग द्वारा सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार, पाटनरोधी विषयों के अंतर्गत, किसी घरेलू उत्पादक को आयातक या निर्यातक से तभी संबंधित माना जा सकता है, जब नियम 2(ख) की व्याख्या (i) के खंड (क) से (ग) में वर्णित "नियंत्रण" का कोई रूप हो। इसके अलावा, नियम 2(ख) की व्याख्या के खंड (ii) नियंत्रण की परिभाषा को उस स्थिति तक सीमित करके परिभाषा के दायरे को और सीमित किया गया है, जहाँ "पूर्ववर्ती कानूनी रूप से या प्रचालनात्मक रूप से पश्चातवर्ती पर नियंत्रण या निर्देश देने की स्थिति में है"। "सकता" शब्द का प्रयोग प्राधिकारी को पात्रता की जाँच करने की शक्ति प्रदान करता है और घरेलू उद्योग को अयोग्य घोषित करने में कोई 'स्वचालितता' नहीं है।

32. इस प्रकार, नियमावली के नियम 2(ख) के तहत जाँच करने के लिए प्राधिकारी को यह देखना होगा कि क्या पक्षकारों के बीच या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से नियंत्रण है और यदि ऐसा नियंत्रण मौजूद है तो क्या वह इस प्रकृति का है कि पूर्ववर्ती कानूनी रूप से या परिचालनात्मक रूप से पश्चातवर्ती पर नियंत्रण या निर्देश देने की स्थिति में है।

33. प्राधिकारी ने पहले ही जाँच कर ली है कि निर्यातक और आवेदक द्वारा उल्लिखित प्रतिष्ठानों के बीच कोई साझा शेयरधारिता नहीं है। केवल इसलिए कि एक साझा निदेशक (गैर-कार्यकारी) है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई "नियंत्रण" है या यह कि कोई कानूनी रूप से या परिचालनात्मक रूप से दूसरे पर नियंत्रण या निर्देश का प्रयोग करने की स्थिति में है।

34. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि किसी भी मामले में केवल संबंध की मौजूदगी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उत्पादक को अपात्र ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित हाइड्रोजन परऑक्साइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच में (फा. सं. 14/3/2015-डीजीएडी, दिनांक 11 अप्रैल, 2017) प्राधिकारी ने यह माना है कि संबंध के अलावा, यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि क्या संबंध की मौजूदगी के कारण कथित रूप से संबंधित उत्पादकों ने गैर संबद्ध उत्पादकों से अलग व्यवहार किया है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि आवेदक ने ऐसे कथित संबंध के कारण अलग व्यवहार किया है।

35. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, एक पात्र घरेलू उत्पादक है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ङ. ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध मं निम्नलिखित अनुरोध किया है :-

i. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका अपूर्ण है और इसमें आवश्यक सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है, जो हितबद्ध पक्षकारों को अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है।

ii. याचिका का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति नहीं है। अतः निर्यातक प्रभावी रूप से अपने हितों का संरक्षण करने में सक्षम नहीं है।

iii. याचिकाकर्ता ने व्यापार नोटिस सं. 10/2018, दिनांक 07.09.2018 की अपेक्षाओं की अवहेलना की है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

iv. याचिका में निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की गई है : (i) विनिर्माण प्रक्रिया; (ii) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के नाम; (iii) घरेलू उद्योग को छोड़कर सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य; (iv) क्षमता उपयोग के लिए औसत उद्योग मानदंड; (v) वस्तुसूची (इन्वेन्ट्री) के लिए औसत उद्योग मानदंड; (vi) जुटाई गई धनराशि : ऋण और अग्रिम; (vii) निर्यात मूल्य/इकाई;

(viii) पीबीआईटी के लिए औसत उद्योग मानदंड; (ix) विचाराधीन उत्पाद की खरीद; (x) गैर-हानिकारक मूल्य।

v. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार जानकारी का प्रकटन न करने का कोई कारण नहीं बताया है।

vi. याचिकाकर्ता ने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पर गोपनीयता का अनुचित दावा किया है, यह अनुरोध किया गया कि लागत और मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी सूचनाओं को गोपनीय रखा गया है और आंकड़ों के रुझान को दर्शाते हुए इसका अगोपनीय पाठ प्रदान किया गया है।

ङ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता केवल लागत संबंधी जानकारी के लिए है, जिसमें लागत और मूल्य शामिल है।

iii. घरेलू उद्योग ने उन सभी सूचनाओं के लिए अनुक्रमित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जिनके बारे में उसने गोपनीयता का दावा किया है।

iv. निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति नहीं है।

v. निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और आंकड़ों का उचित अनुक्रमण प्रदान नहीं किया है।

vi. निर्यातकों ने उद्यम की संरचना, शेयरधारिता पैटर्न, निर्यातक और संबद्ध उद्यमों के बीच संबंधों की प्रकृति आदि जैसी बुनियादी जानकारी को गोपनीय रखा है। इसका कोई औचित्य नहीं है।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

38. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

39. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में प्रावधान इस प्रकार हैं :-

"गोपनीय सूचना -

(1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) एवं (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) तथा नियम 17 के उप नियम (4) में किसी भी बात के होते हुए भी नियम 5 के उप नियम (1) के प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ या जाँच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त कोई अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर ऐसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी सूचना किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं जाएगी और यदि सूचना यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(3) उप नियम (2) की किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी को यह विश्वास है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकट करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।"

40. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विभिन्न आवेदनों में अन्य पक्षकारों के गोपनीयता दावों के मुद्दे उठाए हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ

उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराए।

41. सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई तथा सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करें।

च. च. <u>विविध मामले</u>

च.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं :-

i. वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग ने उनकी बाजार आसूचना के आधार पर आयात डेटा का मनमाने ढंग से उपयोग किया है। हम समझते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग किए गए डेटा न तो प्रतिनिधिक थे और न ही विश्वसनीय थे।

ii. याचिकाकर्ता ने अपनी स्थिति के संबंध में प्राधिकारी को भ्रामक जानकारी प्रदान की है। वास्तव में, याचिकाकर्ता ने सावधानी से इस तथ्य को छिपाया है कि यह केवल एक एसईजेड इकाई है, जिसे एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए।

iii. देश में मांग और आपूर्ति में महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसी स्थिति में शुल्क लगाना उपयोगकर्ताओं के लिए अनुचित रूप से बोझिल होगा।

च.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

43. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं :-

i. मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स (सीसीसीएमई) को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के संदर्भ में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता। उक्त एसोसिएशन ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है, जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि वे नियम 2(ग)(i) में निर्धारित पूर्व शर्त को पूरा करते हैं, जिसके लिए उन्हें हितबद्ध पक्षकार माना जाना चाहिए।

ii. अवाडा वेंचर्स प्रा. लि. भी नियम 2(ग)(i) के तहत प्रदान की गई किसी भी श्रेणी में नहीं आथा है। अवाडा द्वारा दायर लिखित अनुरोधों के अनुसार, वे एक मॉड्यूल विनिर्माण

सुविधा स्थापित कर रहे हैं, जो अभी तक चालू नहीं हुई है। इस प्रकार, वर्तमान में वे न तो उपयोगकर्ता हैं और न ही संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं। इसे देखते हुए, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करता है कि वे उक्त पक्षकार द्वारा दायर किसी भी अनुरोध पर ध्यान न दें।

iii. आयात आंकड़ों की सत्यता के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त की गई आशंका के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने याचिका दायर करते समय अपने पाठ उपलब्ध निजी आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। चूंकि कई अनुरोधों के बावजूद, आवेदक को डीजीसीआई एंड एस आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए, अतः उन पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी मामले में, जांच शुरुआत अधिसूचना में ही यह उल्लेख किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आरंभ की गई है। इस प्रकार, इस संबंध में व्यक्त की गई आशंकाएं निराधार हैं।

iv. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों के इस कथन का संबंध है कि देश में मांग और आपूर्ति में अंतर है, यह कहा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण से उद्योग को न केवल स्वयं को स्थापित करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश में बढ़ती मांग के अनुरूप विकास करने में भी मदद मिलेगी।

v. आवेदक ने स्वयं ही 2023 की अंतिम तिमाही में मौजूदा सुविधाओं की 50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए मशीनरी का आदेश पहले ही दे दिया है। इसके अलावा, आवेदक वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक क्षमताओं में 50 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि करेगा। एल्यूमिनियम प्रोफाइल के एक अन्य प्रमुख उत्पादक, हिंडाल्को ने भी जांच की अवधि के बाद नमूना आधार पर संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है और यदि शुल्क लगाया जाता है, तो वह पूर्ण संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र में क्षमताओं के विस्तार में एकमात्र बाधा चीन से सस्ते और पारित किए गए आयात हैं, जो संबद्ध वस्तुओं को भारतीय निर्माताओं के लिए गैर-लाभकारी बनाते हैं। शुल्क लगाए जाने से, सही अर्थों में, उद्योग 'आत्मनिर्भर' बन जाएगा।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

44. आवेदक द्वारा अपनी याचिका में, उपयोग किए गए आयात संबंधी डेटा के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयात डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसी

स्थिति में, आवेदक द्वारा भरोसा किए गए आयात डेटा को प्राधिकारी द्वारा याचिका दायर करने के समय पर्याप्त पाया गया। तथापि, जांच शुरू करने और वर्तमान जाँच के उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस डेटा पर भरोसा किया है। इस प्रकार, इस मामले में हितबद्ध पक्षों को कोई क्षति नहीं हुई है।

45. जहाँ तक सीसीसीएमई और साथ ही अवाडा वेंचर्स की हितबद्ध पक्षकार के रूप में पात्रता का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वे नियम 2(ग) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार के रूप में माने जाने के लिए मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। तथापि, प्राधिकारी ने फिर भी उनके द्वारा किए गए अनुरोधों पर उचित स्थानों पर विचार किया है।

46. जहाँ तक इस बात का संबंध है कि आवेदक एक एसईजेड इकाई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत है। आवेदक ने यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि वह पीओआई से पहले एसईजेड से बाहर निकल गया है।

47. जहाँ तक इस मामले का संबंध है कि देश में मांग और आपूर्ति का अंतर है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने पहले ही अतिरिक्त क्षमताओं के लिए आदेश दे दिए हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस तर्क पर भी विचार किया है कि वे 2024-25 के अंत तक अपनी क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, हिंडाल्को ने प्राधिकारी के समक्ष यह भी अनुरोध किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की कुछ मात्रा का निर्माण किया है और वे संबद्ध वस्तुओं का निर्माण एक समर्पित सुविधा में करने का इरादा रखते हैं, तथापि, चीन द्वारा ऐसे उत्पादों का लगातार पाटन होने और सब्सिडी से उसे ऐसा करने से रोक लगी है। उन्होंने कहा है कि यदि इस तरह के अनुचित व्यापार को उचित तरीके से संशोधित किया जाता है, जिसमें वर्तमान जाँच भी शामिल है, तो हिंडाल्को बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

48. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के सामान्य मूल्य से तात्पर्य है :

"(ग) किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है -

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या भू-भाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या भू-भाग की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्र के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा-

(क)समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या भू-भाग से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम के देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहाँ उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यानान्तरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा।"

छ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्यों, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में नामित करना लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं है।

ii. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 में प्रासंगिक प्रावधान, जो चीन जन. गण. को एनएमई के रूप मं मानने की अनुमति देता है, दिनांक 11 दिसम्बर, 2016 को समाप्त

हो गया है। अतः वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, जो प्राधिकारी को किसी भी जाँच में चीन जन. गण. को एनएमई के रूप में मानने की अनुमति देता हो।

iii. यह प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि इस जांच के प्रयोजन के लिए चीन जन. गण. एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है, तो भी प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में तीसरी पद्धति (अर्थात् किसी अन्य उचित आधार पर) के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करने का सीधे तौर पर सहारा नहीं ले सकता है।

iv. प्राधिकारी को पहले निम्नलिखित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का प्रयास करना चाहिए; (i) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य, या (ii) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत में सहित अन्य देशों को कीमत/ केवल तभी जब इन दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव न हो, तो किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

v. शेनयांग मत्सुशिता, 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि प्राधिकारी को किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए तभी आगे बढ़ना चाहिए, जब उसने पहली दो पद्धतियों को समाप्त कर दिया हो।

vi. याचिका में ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया है कि प्राधिकारी पहले के दो तरीकों के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना क्यों नहीं कर सकते।

vii. सामान्य मूल्य की गणना करने के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना की पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है और इसलिए प्रतिवादियों के लिए उस संबंध में किसी भी दावे का उत्तर देना संभव नहीं है।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए पाटन मार्जिन पर प्राधिकारी से किसी भी सत्यापन के बिना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

छ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

50. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार चीन जन. गण. को एनएमई के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य के नियमावली के अनुबंध-I, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में प्राधिकारी के पास यह मानने के अलावा, और कोई विकल्प नहीं है कि चीन एक एनएमई है, जब तक कि निर्यातक अन्यथा साबित न करे। अतः चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) के समाप्त होने के बावजूद, प्राधिकारी पैरा 8 द्वारा यह मानने के लिए बाध्य है कि चीन एक एनएमई है।

iii. धारा 15(क)(i) की समाप्ति पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वतः नहीं मिल जाता, बल्कि इसके लिए चीन द्वारा एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 के अन्य प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

iv. निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है, जो चीन जन. गण. की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की गारंटी देता है।

v. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि प्रतिवादी चीनी निर्यातक नियमों के तहत निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में परीक्षण को पास नहीं कर लेते।

vi. चीन जन. गण. के उत्पादकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को हाल की कई जांचों में इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है।

vii. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि प्रतिवादी चीनी निर्यातक यह स्थापित नहीं कर देते कि प्रमुख इनपुट के वास्तविक खरीद मूल्य बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं।

viii. यदि चीन के निर्यातक यह स्थापित करने में असमर्थ हैं कि उनकी पुस्तकें अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुरूप है, तो बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

ix. यह स्थापित करना प्राधिकारी का काम नहीं है कि प्रतिवादी कंपनियाँ बाजार अर्थव्यवस्था के माहौल में काम कर रही हैं, लेकिन यह प्रतिवादी चीनी निर्यातकों पर है कि वे यह स्थापित करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थिति में काम कर रहे हैं।

x. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप से दावा न करे। यदि समूह का हिस्सा बनने वाली एक या अधिक कंपनियों ने उत्तर दाखिल नहीं किया है, तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के लिए दावा अस्वीकार किया जाना चाहिए।

xi. इस प्रकार चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जिसे डीजीटीआर की सुसंगत प्रथा के अनुसार, बिक्री; सामान्य मूल्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विधिवत समायोजित किया गया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

51. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सलाह देते हुए प्रश्नावलियां प्रश्नावली भेजी । निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्यातक की के उत्तर दायर किए हैं :

i. जियांगयिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड,

ii. जियांगयिन हैहोंग सॉलिड-एफएसडब्लू कं, लिमिटेड और जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड,

iii. जियांग्सू यूजिया मेटालिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड,

iv. जियांगयिन टिंजे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड,

v. झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड और

vi. जियाक्सिंग यूजिया मेटल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

<u>बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की जांच</u>

52. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सलाह देते हुए प्रश्नावलियां प्रश्नावली भेजी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने के लिए संगत प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

<u>चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

53. डब्ल्यू टी ओ के चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर

सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

54. आवेदक ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद (15)(क)(i) तथा अनुबंध 1 के पैरा 7 पर विश्वास किया है । आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादक को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्मा, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं । आवेदक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागतों और कीमत संबंधित सूचना बाजार संचालित हैं, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए ।

55. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद (15)(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के अंतर्गत इस दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में किए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित होता है । यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन गण के उत्तरदाता उत्पादकों/नियार्तकों ने पूरक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अत: सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुच्छेद-I के पैरा-7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

56. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार है:

> *"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा किसी ऐसे तीसरे देश से दूसरे देशों में कीमत, जिनमें भारत भी शामिल है, अथवा उपयुक्त लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत ने वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर, जहां वह संभव नहीं है, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा । किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन उपयुक्त तरीके [संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए] से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा । यदि किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में यदि समान मामले में कोई जांच की गई है, तो वहां उपयुक्त होने पर समय सीमा के भीतर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच में पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपरोक्त चयन में अनुपयुक्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त समयावधि दी जाएगी।"*

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध I के पैरा (7) के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों में ऐसे देश से कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाए। तथापि, जब वह आधार संभव नहीं हो, केचन तभी प्राधिकारी भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

58. नियमों के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के अनुसार, प्राधिकारी किसी उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के किसी तीसरी पद्धति में जा सकते हैं, जब पहली पद्धति समाप्त हो गई हो, अर्थात तीसरे देश में मूल्य अथवा निर्मित मूल्य, और तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत की दूसरी पद्धति समाप्त हो गई हो । तथापि, यह नोट किया जाता है कि पहली दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए पक्षकारों द्वारा कोई विश्वसनीय सूचना/साक्ष्य नहीं दिया गया है। तीसरे देश से भारत को आयात भी शून्य है, क्योंकि संबद्ध देश का आयातों में 100% हिस्सा है। अतः, प्राधिकारी को किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध सामानों की कीमत अथवा निर्मित मूल्य, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को किसी तीसरे देश से कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचना नहीं दी गई है। सूचना/साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी के लिए पहली अथवा दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः, प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति के आधार पर, अर्थात किसी अन्य उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है ।

छ.3.2 <u>निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

i. सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

i. <u>जियांगयिन टिंजे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड</u>

59. जियांगयिन टिंजे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (टिंजे) चीन जन गण में संबद्ध सामानों का उत्पादक है । टिंजे ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है ।

60. जांच की अवधि के दौरान जियांगयिन टिंजे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने सीधे ही भारत को संबद्ध सामानों के *** अम.डॉ. बीजक मूल्य के *** मी.टन का निर्यात किया है । उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, ऋण लागत, बैंक प्रभारों और पत्तन तथा अन्य संबंधित खर्चों के निमित समायोजनों का दावा किया है । तद्नुसार, कारखानागत स्तर पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है ।

ii. जियांगयिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

61. मेसर्स जियांगयिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, ("युआनशुओ") चीन जन गण में संबद्ध सामानों का उत्पादक है। युआनशुओ ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

62. जांच की अवधि के दौरान मेसर्स जियांगयिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने सीधे ही भारत को संबद्ध सामानों के *** अम.डॉ. बीजक मूल्य के *** मी.टन का निर्यात किया है । उत्पादक/निर्यातक ने अंतरदेशीय परिवहन, ऋण लागत, बैंक प्रभारों और पत्तन तथा अन्य संबंधित खर्चों के निमित समायोजनों का दावा किया है । तद्नुसार, कारखानागत स्तर पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है ।

iii. <u>जियांगशु जियांग्सू यूजिया मैटलिक टैक्नोलॉजी कं. लि.</u>

63. मेसर्स जियांग्सू यूजिया मेटालिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (यूजिया) चीन जन गण में संबद्ध सामानों का उत्पादक है। यूजियां ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

64. जांच की अवधि के दौरान , जियांग्सू यूजिया मेटालिक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने सीधे ही भारत को संबद्ध सामानों के *** अम.डॉ. बीजक मूल्य के *** मी.टन का निर्यात किया है । उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, लोअर सल्फर शुल्क, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, ऋण लागत, बैंक प्रभारों और पत्तन तथा अन्य संबंधित खर्चों के

निमित समायोजनों का दावा किया है । तद्नुसार, कारखानागत स्तर पर निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है ।

iv. <u>मेसर्स जियांगयिन हैहोंग सॉलिड-एफएसडब्लू कं, लिमिटेड और मेसर्स जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड</u>

65. मेसर्स जियांगयिन हैहोंग सॉलिड-एफएसडब्लू कं., लिमिटेड (हैहोंग सॉलिड) चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों का उत्पादक है। हैहोंग सॉलिड ने कार्यगत आधार आधार पर संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात् जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड, चीन जन.गण. के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

66. जांच की अवधि के दौरान, सॉलिड एफएसडब्ल्यू कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड, चीन जन.गण. के माध्यम से कार्यगत आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध सामानों के *** आरएमबी बीजक मूल्य के *** मी.टन का निर्यात किया है ।

67. यह भी नोट किया जाता है कि जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड ने एफओबी आधार पर सीधे ही भारत को संबद्ध सामानों का *** अम.डॉ. बीजक मूल्य के *** मी.ट. का निर्यात किया है, जिसका उसके द्वारा ही उत्पादन किया जाताहै। उत्पादक/निर्यातक ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, बैंक प्रभारों और पत्तन तथा अन्य संबंधित खर्चों के लिए समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत का भारित औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

V. मेसर्स जियाक्सिंग यूजिया मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. और मेसर्स जियांगयिन ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

68. मेसर्स जियाक्सिंग यूजिया मेटल प्रोडक्ट्स कं., लिमिटेड (यूजिया) और मेसर्स झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड (ताइहे) चीन जन गण में संबद्ध सामानों के उत्पादक हैं। दोनों ने भारत को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

69. जांच अवधि के दौरान, यूजिया ने भारत को सीधे ही संबद्ध सामानों के *** अम.डॉ. बीजक मूल्य के *** मी.ट. भेजा है। उत्पादक/निर्यातक ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, बैंक प्रभारों और पत्तन तथा अन्य संबंधित खर्चों के निमित समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गयी है।

ii. असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात कीमत

70. जिन अन्य उत्पादकों और निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, उन सभी के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

छ.3.3. पाटन मार्जिन का निर्धारण

71. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है:

क्र.सं.	विवरण	आयात मात्रा	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
1	मेसर्स जियांगयिन टिन्जे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड	***	***	***	***	***	30-40
2	मेसर्स जियांगयिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड	***	***	***	***	***	20-30
3	मेसर्स जियांग्सू यूजिया मेटालिक टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड	***	***	***	***	***	20-30
4क	मेसर्स जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड	***	***	***	***	***	50-60
4ख	मेसर्स जियांगयिन हैहोंग सॉलिड-एफएसडब्लू कं.,	***	***	***	***	***	10-20

क्र.सं.	विवरण	आयात मात्रा	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
	लिमिटेड						
4	**हैहोंग ग्रुप कंबाइंड**	*******	*******	*******	*******	*******	**40-50**
5क	मेसर्स झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड	***	***	***	***	***	20-30
5ख	मेसर्स जियाक्सिंग यूजिया मेटल प्रोडक्ट्स कं., लिमिटेड	***	***	***	***	***	10-20
5	**ताइहे ग्रुप कंबाइंड**	*******	*******	*******	*******	*******	**20-30**
6	अन्य	***	***	***	***	***	40-50

72. चीन जन. गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

ज. <u>क्षति की जांच</u>

ज.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

73. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित रूप में अनुरोध किए हैं :-

i. यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। सभी मात्रा संबंधी मापदंड, यथा- उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, उत्पादकता, कर्मचारियों की संख्या आदि जैसे में क्षति जांच अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है।

ii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एडीए के अनुच्छेद 3.2 और नियमावली के अनुबंध II के पैरा (ii) के तहत काफी कीमत प्रभाव सिद्ध नहीं करते ।

iii. पूर्ण दृष्टि से अथवा संबंधित दृष्टि से आयातों की वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के लिए आवेदन पत्र के भाग के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा कोई विवरण अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है ।

iv. आवेदक ने आवेदन में आवेदन पत्र में स्वीकार किया कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा क्षति जांच अवधि में बढ़ी है और इसलिए घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा के संबंध में कोई क्षति नहीं हुई है।

v. आवेदक ने स्वीकार किया है कि कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें दी गई मजदूरी क्षति जांच अवधि के दौरान बढ़ी है।

vi. घरेलू उद्योग की हानियों में क्षति जांच अवधि में काफी सुधार हुआ है। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के आरओसीई और नकद लाभ ने भी वही प्रवृत्ति अपनाई है और इसमें सुधार हुआ है।

vii. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से दोनों में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की दर से काफी अधिक है।

viii. उनके आवेदन पत्र के अनुसार, विशाखा ने उक्त जांच में वास्तविक मंदी का दावा किया है। विशाखा ने वर्ष 2021-2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और इसीलिए आरोप लगाया है कि आयात इसकी स्थापना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में, उत्तरदाता यह अनुरोध करते हैं कि कि वर्तमान मामले में वास्तविक का अभाव है।

ix. जांच की शुरूआत की अधिसूचना में वह आधार को स्पष्ट नहीं है जिस आधार पर घरेलू उद्योग को अस्थापित उद्योग माना गया है। आवेदक द्वारा मात्र यह विवरण कि संबद्ध देश से आयात उनको वास्तविक मंदी पहुंचा रहे हैं, वास्तविक मंदी की जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

x. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने मार्च 2021 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। चूंकि याचिकाकर्ता देश में एक नया उत्पादक है और उसने क्षति अवधि के अंतिम वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, अत: घरेलू उद्योग का निष्पादन स्टार्ट-अप प्रचालनों और अन्य कारणों से प्रभावित हो सकता है, न कि किसी पाटन के कारण।

xi. यद्यपि यह सिद्ध है कि प्रश्नगत उद्योग उचित रूप से स्थापित किया गया है और वे किसी उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी के रूप में क्षति के लिए संगत प्रावधानों को नहीं ले सकते, अत:, याचिका में दिए गए तथ्य यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तविक मंदी नहीं हुई । मंदी की स्थिति पीछे अथवा विलंबित होने पर

निष्पादन को दर्शाती है जबकि वर्तमान मामले में काफी निष्पादन सिद्ध है और सभी क्षति मापदंडों ने क्षति की अवधि में और जांच की अवधि के अंतर्गत काफी वृद्धि दिखाई है। इस प्रकार, यह आधारहीन आरोप है कि उद्योग को वास्तविक मंदी हुई थी।

xii. क्षति के सभी मानदंड उर्ध्वगामी पथ पर हैं अथवा वे सशक्त स्तर को दर्शाते हैं और ऐसी प्रवृतियों को किसी भी तरीके से वास्तविक मंदी की स्थितियों के रूप में नहीं कहा जा सकता है। प्राधिकारी क्षति मापदंडों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी के रूप में कोई क्षति नहीं हुई है।

ज.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

74. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को काफी क्षति पहुंचाई है।

ii. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है। आयात पूर्ण मात्रा में और संबंधित दृष्टि से बढ़े हैं ।

iii. आयातों का पहुंच मूल्य देश में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की कटौती करते जा रहे हैं।

iv. चीन से आयात की कीमतें स्पष्ट कीमत न्यूनीकरण/हास दर्शाते हुए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम हैं क। कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी रही है ।

v. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर आयातों का काफी नकारात्मक प्रभाव रहा है। देश में विचाराधीनउत्पाद की पर्याप्त मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग की भारी अनुपयुक्त क्षमता है।

vi. आयातों द्वारा लगाए डाले गए कीमत दबाव ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है, जिसके परिणामस्वरूप काफी हानियां और नकारात्मक आरओसीई रहा है।

vii. कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग को एक विशिष्ट स्थिति में रखा है, जहां जब कभी घरेलू उद्योग एक अच्छा बाजार हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वह अपने उत्पाद को हानियों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। यह स्थित जांच की अवधि में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम था, परंतु वह कम बिक्री कीमत के कारण हानियों में रहा।

viii. घरेलू उद्योग के बहुत कम मापदंडों में किसी सुधार को इस अर्थ में नहीं माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। डब्ल्यूटीओ की निर्धारित न्याय व्यवस्था, प्राधिकारी की विगत परिपाटी और भारत में न्यायालयों के पूर्व उदाहरणों के संदर्भ में क्षति मानदंडों की जांच एक टिक-मार्क दृष्टिकोण से नहीं की जा सकती जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है ।

ix. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने रिकॉर्ड में उपलब्ध कोई भी साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन को छोड़कर अन्य (कारकों के कारण क्षति हुई है। केवल असिद्ध विवरण ही दिए गए हैं। अत: हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की अनदेखी किया जाना अपेक्षित है।

x. प्राधिकारी की यह स्थापित परिपाटी है कि वास्तविक मंदी के मामलों में, घरेलू उद्योग के वास्तविक और प्रस्तावित निष्पादनों की तुलना महत्व की उच्चतर मात्रा प्राप्त करते हैं क्योंकि उद्योग को एक नया और विकासशील उचित विकसित माना गया है। इस संबंध में, चीन जन.गण., ताइवान और वियतनाम के मूल के अथवा वहां निर्यातित "रोल अथवा शीट फॉर्म को छोड़करअन्य विनाइल टाइल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच वास्तविक मंदी [फा. सं. 6/17/2021-डीजीटीआर, दिनांक: 23 जनवरी, 2023] का संदर्भ लिया जा सकता है । ।

xi. आवेदक का अनुरोध है कि परियोजना रिपोर्ट की तुलना में उसका निष्पादन निराशाजनक रहा है। अनुमानित लाभ के बजाय, आवेदक को महत्वपूर्ण नुकसान हो रहा है। प्रस्तावित लाभों के बजाए आवेदक को काफी हानियां हो रही हैं । इसके अतिरिक्त, आवेदक की काफी क्षमताएं, देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग होने के बावजूद सुस्त रही हैं ।

xii. संबद्ध देश के निर्यातकों ने बाजार में स्थान प्राप्त करने से घरेलू उद्योग को रोकने के लिए कच्ची सामग्री और अंतर्राष्ट्रीय भाड़े की कीमतों में वृद्धि के बावजूद संबद्ध

वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई हैं । परिणामस्वरूप, आयात भारत में उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी पहुंचा रहे हैं।

xiii. आयातों की कम कीमत ने घरेलू उद्योग को उपयुक्त कीमत पर बिक्री करने से रोका है। चूंकि घरेलू उद्योग बाजार में नया है, अत: उसके पास अपनी निर्धारित लागत को कम करने के लिए बाजार में अपना उत्पाद बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अत: घरेलू उद्योग बाजार में स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों पर समझौता करने के लिए मजबूर है। इस कारण, घरेलू उद्योग हानियों पर बिक्री करने के लिए मजबूर रहा है।

xiv. जहां तक पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि क्षति के अधिक मानदंड सकारात्मक हैं, आवेदक का अनुरोध है कि उद्योग की नई स्थिति और प्रचालनों की हाल की शुरूआत के कारण अलग-अलग मानदंडों के लिए सुधार दर्शाना स्वाभावित है । तथापि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा विनाइल टाइल्स (उपर्युक्त) में माना गया है, वास्तविक मंदी की जांच का जोर यह मालूम करना है कि क्या उद्योग प्रस्तावित निष्पादन हासिल करने में सक्षम रहा है और पाटन के अभाव में उद्योग की स्थिति क्या होती।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

75. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है और हितबद्ध पक्षोकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत विचार करने के पश्चात नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है।

76. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव

से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

77. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों और क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, रोजगार और मजदूरी आदि जैसे मापदंडों में काफी सुधार हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन मापदंडों में सुधार 2021-22 में आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के कारण है।

78. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान मामला उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी का है न कि वास्तविक क्षति का।

ज.3.1 <u>उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी</u>

79. जीएटीटी के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी डब्ल्यू टी ओकरार के अनुच्छेद 3 में ''वास्तविक मंदी '' के लिए किसी परिभाषा का प्रावधाननहीं है । अनुच्छेद 3 की पाद टिप्पणी में केवल निम्नलिखित का उल्लेख है:

''इस करार के तहत ''क्षति'' शब्द, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा अथवा ऐसे किसी उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी माना जाएगा और उसका निवर्चन इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा । ''

80. यही स्थिति सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के मामले में है, जिसमें ''क्षति'' क्षतिकी परिभाषा के तहत अनुबंध- II में मात्र ''वास्तविक क्षति'',

''वास्तविक क्षति का खतरा'' और ''वास्तविक मंदी'' जोड़े जाते हैं । इस संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है जिसमें उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी बनती है ।

81. मोरक्को- तुर्की से कतिपय हॉट-रोल्ड स्टील संबंधी पाटनरोधी उपाय, ने डब्ल्यूटीओ पैनल में यह निर्धारित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश दिए हैं कि क्या उद्योग की स्थापना है। पैनल ने पाया कि अनुच्छेद 3.1 यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति निर्धारित नहीं करता है कि क्या कोई उद्योग स्थापित किया गया । प्राधिकारी को किसी भी ऐसी उपयुक्त पद्धति का उपयोग करने की अनुमति है जो अवधारणाओं और अनुमानों पर आधारित है। तथापि, ये अनुमान तथ्यों और सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए।

82. पैनल के समक्ष यह मुद्दा "वास्तविक मंदी" के निर्धारण के प्रयोजनके लिए किसी उद्योग की "स्थापना" के संबंध में था। पैनल ने पाया कि प्राधिकारी को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि यह निर्धारित करने के लिए क्या नया उद्योग स्थापित करने के लिए कौन से मानदंड संगत हैं । पैनल द्वारा संगत माने जाने के लिए एक मानदंड एक यह था कि क्या उत्पादन विद्यमान कंपनी की नई 'उत्पाद लाइन' है। यदि कोई विद्यमान उद्योग/कंपनी नई उत्पाद लाइन शुरू करती है, तो यह "अस्थापित उद्योग" के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस कारक की जांच करने के लिए, प्राधकारी को उत्पादक (ग्राहक संपर्क, वितरण चैनल, विद्यमान उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपतियों आदि) की समग्र अवसरंचना के उपयोग में अतिव्यापन की मात्रा की जांच करनी होगी । पुरानी अवसंचना में अतिव्यापन भारी मात्रा का अर्थ यह होगा कि इसकी कम संभावना है कि नया उद्योग स्थापित किया गया है । पैनल की टिप्पणी का संगत भाग निम्नलिखित है:

'' 7.2.11 आरंभिक तौर पर हम नोट करते हैं कि हम इन कारकों पर खुद नहीं बताते अथवा क्या वे यह निर्धारित करने के लिए निर्धारक अथवा परिभाषात्मक या घरेलू उद्योग अस्थापित है । हम स्वीकार करते हैं कि कि संगत कारक यह हो सकता है कि क्या घरेलू उद्योग बाजार में प्रश्नगत समान उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है । साथ ही हम नोट करते हैं कि यद्यपि, बाजार में उस उत्पाद का केवल एक उत्पादक हो सकता है जहां वह उत्पाद विद्यमान उद्योग का ''नई उत्पाद लाइन'' ही बनती हैं और विद्यमान

उत्पादन, विपणन और अन्य प्रचालनों से लाभ बनते हैं, ऐसे साझा किए गए प्रचालन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि क्या विशिष्ट नया उद्योग स्थापित किया गया है । यदि कोई विद्यमान उद्योग वर्तमान में उत्पादित किए जा रहे किसी अन्य उत्पाद के असमान नया उत्पाद शुरू करने का विकल्प चुनता है तो इस नए उत्पाद को शुरू करने के आवश्यक रूप से घरेलू उद्योग का बनना नहीं होगा । इसे फिर भी उस मात्रा के आधार पर विद्यमान उद्योग में नई उत्पाद लाइन शुरू किया जाना माना जाएगा जो विद्यमान उद्योग की समग्र अवसंरचना उत्पादक, वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों सहित " की समग्र अवसरंचना जोडी जाती है । समग्र अवसरंचना के प्रयोग में अतिव्यापन की जितनी अधिक मात्रा होगी, उतनी ही यह अवधारणा कम होगी कि नए उत्पाद की शुरूआत नए उद्योग की स्थापना बताती है । यह तथ्य कि घरेलू उद्योग समान उत्पाद के संदर्भ से पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 द्वारा परिभाषित है और यह घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद का कोई पूर्व - विद्यमान उत्पादक नहीं है, विद्यमान अवसंरचना, यथा ग्राह संपर्क और वितरण चैनलों का उपयोग करने वाले उस घरेलू उद्योग की संभावना घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद के शुरू करने में को नहीं रोकता ।

83. अतः, यह निर्धारित करने में जिस एक पहलू को देखा जाना है वह यह है कि क्या उद्योग विद्यमान है या नहीं, क्या विद्यमान उद्योग के भीतर उत्पाद मात्र एक नया उतपाद है । यदि स्थिति ऐसी है, तो प्राधिकारी को नई उत्पाद लाइन में सिद्यमान अवसंरचना के समग्र उपयोग में अतिव्यापन के स्तर का विश्लेषण करना चाहिए।

ज.3.2 <u>घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी</u>

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में उत्पादन शुरू होने से पूर्व, भारत में संबद्ध सामान के लिए पूरी मांग आयातों से पूरी की जा रही थी। घरेलू उद्योग ने 2021-22 में उत्पादन शुरू किया। यहां तक कि यद्यपि संबद्ध सामानों के घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन भारत में शुरू हो गया है, फिर भी उनका निष्पादन प्रस्तावित आंकड़े से बहुत

कम है जैसा कि उनके वास्तविक उत्पादन में उनकी परियोजना रिपोर्ट की जांच तुलना से सिद्ध है ।

क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करना।

85. उत्पादन के प्रथम वर्ष में, घरेलू उद्योग ने ***% क्षमता उपयोग पर प्रचालन करने का अनुमान किया था। प्रचालन के दूसरे वर्ष में, क्षमता उपयोग ***% पर होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान 2021-22 के लिए अनुमानित क्षमता उपयोग भी हासिल नहीं किया । ***% के अनुमानित क्षमता उपयोग के विरूद्ध, घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं के ***% उपयोग करने में स ही सक्षम रहा है।

ख. क्या संबद्ध सामानों का उत्पादन विद्यमान उद्योग में मात्र एक नई उत्पाद लाइन है?

86. डब्ल्यूटीओ पैनल ने पाया है कि यदि उद्योग का उत्पादन किसी विद्यमान उद्योग में मात्र एक नई उत्पाद लाइन है, तो यह वास्तविक मंदी का मामला नहीं हो सकता है। तथापि, पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि जो महत्वपूर्ण है वह वही मात्रा है जिसमें विद्यमान अवसंरचना का उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए किया गया है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के लिए एक नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया था और वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। इस प्रकार, संबद्ध सामानों का उत्पादन विद्यमान उपयोग में नई उत्पाद लाइन नहीं कहा जा सकता है।

ग. उत्पादन की स्थिरता

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन क्षति अवधि के दौरान शुरू हुआ । उत्पादन का विश्लेषण और घरेलू उद्योग की बिक्री यह दर्शाती है कि वह अनुमानित क्षमता उपयोग हासिल करने में विफल रहा है ।

88. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के कुछ निष्पादन मापदंड, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा पूर्व वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बढ़ा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का निष्पादन में यह मानते हुए सुधार होने की उम्मीद है कि इसने पूर्व वर्ष (2021-22) में ही संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया। किसी भी उत्पादक से यह उम्मीद होती है कि वह अपने निष्पादन में सुधार के लिए कदम उठाए । परिणामस्वरूप, इसके कुछ तत्व सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शा सकते हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के कुछ मानदंडों में सुधार बाजार में खुद को स्थापित करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

89. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मंदी शब्द का अर्थ कुछ होने के लिए करने अथवा उसके कम विकसित होने की प्रक्रिया है जो होना चाहिए था । इस प्रकार, यह जांच करने के लिए कि क्या आयातों ने उद्योग की स्थापना में वास्तवित रूप से मंदी आई है, संगत पहलू यह नहीं है कि उद्योग ने कोई प्रगति दर्शाई, बल्कि संगत पहलू परियोजना रिपोर्ट में किए गए अनुमानों की तुलना में इसका है । इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन की तुलना उसके अनुमानित निष्पादन से की है।

90. जैसा कि यहां ऊपर नोट किया गया है, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच अवधि और पूर्व वर्ष में अनुमानित स्तरों से काफी कम रहा है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री भी परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित की गई मात्रा का लगभग आधा है। इसके अतिरिक्त, अनुमानित लाभ और सकारात्मक आरओआई के बजाय, आवेदक को काफी हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।

91. क्षति मूल्यांकन के संबंध में, डब्ल्यू टी ओर पैनल ने निम्नलिखित मार्गदर्शन दिए हैं:

"7.233. इसके अतिरिक्त, हम मानते हैं कि सूचीबद्ध 15 क्षति कारकों में से प्रत्येक का मूल्यांकन करने के लिए अनुच्छेद 3.4 में दायित्व वास्तविक मंदी के रूप में क्षति की जांच के लिए लागू होता है, जैसाकि वह वास्तविक क्षति या वास्तविक क्षति के खतरे की जांच के मामले में होता है । यह निम्नलिखित कारण से है: पाटनरोधी करार की पाद टिप्पणी 9 के आलोक में पठित अनुच्छेद 3.1 में यह अपेक्षा है कि वास्तविक मंदी का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य और ''घरेलू उत्पादकों पर आयातों (पाटित) का परिणामी

प्रभाव के साथ-साथ वास्तविक जांच के आधार पर होना चाहिए। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच अनुच्छेद 3.4 के अनुसार, उस प्रावधान में सूचीबद्ध 15 क्षति कारकों को शामिल करते हुए संगत कारकों के मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। वास्तविक मंदी का निर्धारण घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के आधार पर होना चाहिए, और उस जांच में अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध 15 क्षति कारकों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण मिस्र - स्टील रीबार में पैनल द्वारा जांच परिणाम के अनुरूप है कि "प्रत्येक जांच में अनुच्छेद 3.4 के कारकों की जांच की जानी चाहिए, चाहे कोई भी प्रदर्शन अथवा क्षति का रूप दी गई जांच में मुद्दा हो ''। अनुच्छेद 3 के पाठ में कोई भी चीज मोरक्को के इस तर्क का समर्थन नहीं करती है कि जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए वास्तविक क्षति विश्लेषण की तरह वास्तविक मंदी विश्लेषण में ''समान कठोरता के साथ अनुच्छेद 3.4 के कारकों को हल करना अपेक्षित नहीं है"।

92. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के तहत निर्धारित किए गए अनुसार क्षति कारकों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया विस्तृत क्षति विश्लेषण नीचे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

झ. <u>पाटित आयातों का मात्रात्म प्रभाव</u>

93. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में, पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की आयात की मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
चीन से आयात	मी.ट.	9283	10839	19272	19740
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	25	-	-	-
कुल आयात	मी.ट.	9308	10839	19272	19740
आयातों में चीन का % हिस्सा	%	99.73%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
आयातों में अन्य देशों का % हिस्सा	%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%

94. संबद्ध देश से आयात जांच की अवधि में आंशिक वृद्धि के साथ वर्ष 2021-22 के दौरान दोगुने से अधिक हुए हैं । इन्हीं आयातों का कुल आयातों में 100% हिस्सा है।

II. <u>उत्पादन और खपत के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात</u>

95. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों की वृद्धि का प्रत्येक वर्ष के लिए घरेलू उत्पादन के साथ आयातों की तुलना करके पूर्ण दृष्टि और सापेक्ष संदर्भ, दोनों में वृद्धि का विश्लेषण किया है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	9,283	10,839	19,272	19,740
घरेलू उत्पादन	मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध			100	182
कुल भारतीय उत्पादन	मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध			100	182
मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	116	212	260
घरेलू उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश का % हिस्सा	%	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध			100	56
कुल मांग में संबद्ध देश का % हिस्सा	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	97	82

96. प्राधिकारी उपर्युक्त से यह नोट करते हैं कि चीन जन गण से आयातों की मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के बावजूद काफी अधिक बने रहते हैं और उनकी काफी क्षमताएं अप्रयुक्त रहती हैं ।

III. <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

97. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा तक कीमतों को कम करना है अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती । इस संबंध में, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के साथ संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के बीच तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

98. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए, उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत, सभी छूटों और करों के निवल, व्यापार के उसी स्तर पर, तुलना की गई है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आयातों की पहुंच कीमत	रू/मी.ट.	150260	218012	242229	288231
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	145	161	192
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रू/मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध			100	90
कीमत कटौती	रू/मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध			100	33
कीमत कटौती	%	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध			100	27
कीमत कटौती	रेंज	-	-	50-60	10-20

99. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि और पूर्व वर्ष में कीमत कटौती सकारात्मक है । कीमत कटौती में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है, परंतु वह काफी बनी रहती है ।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

100. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतें कम करना है अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की तुलना पहुंच मूल्य से की गई है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की लागत	रू/मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	81
बिक्री कीमत	रू/मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	90
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रू/मी.ट.	150260	218012	242229	288231
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	145	161	192

101. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम कीमत पर है। आयात का पहुंच मूल्य भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत भी उत्पादन लागत से कम रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान घरेलू उद्योग को लाभप्रद स्तर तक उनकी कीमतें बढ़ाने से रोक रहे हैं। इस प्रकार, आयातों ने देश में संबद्ध सामानों की घरेलू कीमतों का ह्रास किया है।

IV. <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

102. नियमावली के अनुबंध-।। में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का उद्देश्यपूर्ण एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए और वे तत्व शामिल होने चाहिए जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक

एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग के संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है ।

क. भारतीय उत्पादकों द्वारा धारित बाजार हिस्से में परिवर्तन

103. घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है :

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
चीन से आयात	मी.ट.	9,283	10,839	19,272	19,740
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	25	-	-	-
कुल आयात	मी.ट.	9,308	10,839	19,272	19,740
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध			100	879
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	-	-	-	-
कुल भारतीय घरेलू बिक्री	मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	879
मांग	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	116	212	260
मांग में बाजार हिस्सा					
चीन से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	98	82
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	0	0	0
कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	97	82
कुल घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	718

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ा है । तथापि, वह इस इस तथ्य के कारण है कि उन्होंने 2021-22 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश घरेलू उद्योग में काफी अप्रयुक्त क्षमताओं के बावजूद अधिक बाजार हिस्सा लेता आ रहा है ।

ख. उत्पादन और क्षमता उपयोग

105. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	मी.ट.	-	-	***	***
उत्पादन	मी.ट.	-	-	***	***
क्षमता उपयोग	%	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	183

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, इसकी उम्मीद है क्योंकि घरेलू उद्योग ने 2021-22 में अपना उत्पादन शुरू किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लगभग आधी क्षमताएं अप्रयुक्त हैं।

ग. मालसूची

107. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नलिखित है :

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
मालसूची	मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	135

108. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में आंशिक वृद्धि हुई है।

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

109. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार, रोजगार, प्रति कर्मचारी मजदूरी और प्रति कर्मचारी उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई

उत्पादन	मी.ट.	-	-	***	***
कर्मचारी	सं.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	140
उत्पादन/कर्मचारी	मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	130
मजदूरी	लाख रूपए	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	215

110. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दी गई मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। तथापि, इस वृद्धि की उम्मीद इस तथ्य के कारण है कि यह उद्योग नए-नए स्तर पर है और इसने अभी 2021-22 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है और वह क्षति का कारण नहीं है।

ड. बिक्री मात्रा और मूल्य

111. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री की जांच निम्नलिखित रूप में की है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री	मी.ट.	-	-	***	***
बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	-	-	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	-	100	90

112. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री क्षति जांच अवधि में सुधार हुआ है। तथापि, आधार वर्ष से तुलना करने पर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। बिक्री की लागत में भी गिरावट आई है।

च. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

113. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित हैं:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
लाभ और हानि	लाख रूपए	-	-	(***)	(***)
प्रवृति	सूचकांक	-	-	-100	-182
लाभ और हानि	रू./मी.ट.	-	-	(***)	(***)
प्रवृति	सूचकांक	-	-	-100	-21
नकद लाभ	लाख रूपए	-	-	(***)	(***)
प्रवृति	सूचकांक	-	-	-100	-124
नकद लाभ	रू./मी.ट.	-	-	(***)	(***)
प्रवृति	सूचकांक	-	-	-100	-14
पीबीआईटी	लाख रूपए	-	-	(***)	(***)
प्रवृति	सूचकांक	-	-	-100	-93
पीबीआईटी	रू./मी.ट.	-	-	(***)	(***)
प्रवृति	सूचकांक	-	-	-100	-11
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	-	-	(***)	(***)
प्रवृति	सूचकांक	-	-	-100	-92

114. उपर्युक्त तालिका से, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

i. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम बनी रही है जिससे हानियां हुई ।

ii. घरेलू उद्योग की समग्र हानियों में वृद्धि हुई है, तथापि, प्रति यूनिट हानियां कम हुई हैं।

iii. घरेलू उद्योग की हानियों में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है, परंतु घरेलू उद्योग अब भी उत्पादन लागत वसूल नहीं कर रहा है।

iv. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय कुल मिलाकर समान रही है और जांच की अवधि तथा पूर्व वर्ष के दौरान सकारात्मक थी ।

छ. वृद्धि

115. उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग जैसे मात्रा संबंधी कुछ मापदंडों में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। लाभप्रदता और आरओसीई के संबंध में भी घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से ने उल्लेखनीय ऋणात्मक वृद्धि देखी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और आरओसीई पिछले वर्षों में सुधार के बावजूद ऋणात्मक बने रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में यह विचार करते हुए सुधार होने की संभावना है कि इसने हाल ही में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन आरंभ किया था। किसी भी उत्पादक द्वारा इसके उत्पादन और इस अवधि में बिक्रियों के संबंध में इसके निष्पादन में सुधार करने के लिए कदम उठाए जाने की संभावना है। उसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में क्रमश: सुधार हुआ है। इस प्रकार, उत्पादन और क्षति अवधि में बिक्रियों में हुई वृद्धि बाजार में स्वयं को स्थापित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रयासों को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है।

विवरण	**(पीओआई)**
उत्पादन (एमटी)	82%
घरेलू बिक्रियां (एमटी)	779%
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट (रू/ एमटी)	79%
मालसूची	35%
कुल मांग में घरेलू उद्योग (आवेदक) का बाजार हिस्सा (%)	619%
लाभ/(हानि) (लाख रू. में)	-82%
नकद लाभ (लाख रू. में)	-25%
प्रति यूनिट नकद लाभ (रू/ एमटी)	86%
पीबीआईटी (लाख रू. में)	7%
पीबीआईटी प्रति यूनटि (रू./ एमटी)	89%
आरओसीई %	8%

ज. पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करते समय अपनी लागत की वसूली करने में समर्थ नहीं हैं। आयात कीमतें उत्पादन की लागत से काफी कम हैं।

झ. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण थी और ऐसे आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से उल्लेखनीय रूप से कम कीमतों पर किए गए थे। संबद्ध आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अत्यधिक प्रभावित हुई है।

ञ. पाटन की मात्रा

118. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है और संबद्ध वस्तुओं के आक्रामक मूल्य निर्धारण का संकेतक है।

झ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

119. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित कीमत, जैसा कि नियमों के अनुबंध-III की शर्तों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है, और इस प्रकार तैयार किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	आयात मात्रा	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	रेंज
1	मेसर्स जियांगयिन टिंजे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं. लि०	***	***	***	***	***	10-20

2	मेसर्स जियांगयिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कं. लि०	***	***	***	***	***	10-20
3	मेसर्स जियांग्सू यूजिया मेटालिक टेक्नोलॉजी कं. लि०	***	***	***	***	***	10-20
4क	मेसर्स जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं लि०	***	***	***	***	***	10-20
4ख	मेसर्स जियांगयिन हैहोंग सॉलिड-एफएसडब्लू कं लि०	***	***	***	***	***	10-20
4	**हैहोंग ग्रुप कंबाइंड**	*****	*****	*****	*****	*****	**10-20**
5क	मेसर्स झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	***	10-20
5ख	मेसर्स जियाक्सिंग यूजिया मेटल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड	***	***	***	***	***	0-10
5	**ताइहे ग्रुप कंबाइंड**	*****	*****	*****	*****	*****	**10-20**
6	अन्य	***	***	***	***	***	10-20

ञ. **क्षति पर निष्कर्ष**

120. प्राधिकारी ने नोट किया है कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। देश में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की मात्रा में कमी आई है, लेकिन यह कमी घरेलू उद्योग द्वारा परिचालन शुरू करने के कारण हुई है। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, आरओसीई और अन्य मापदंडों को प्रभावित किया है, जो पर्याप्त मूल्य क्षति दर्शाता है। घरेलू उद्योग को जांच अवधि में वित्तीय घाटा हो रहा है। इसलिए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा पाटित आयातों के कारण हुई है।

121. विचाराधीन उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि:

i. क्षति अवधि में आयात उच्च स्तर पर बने रहे हैं और ये आधार वर्ष के बाद से लगभग दो गुना हो गए हैं।

ii. घरेलू उद्योग के पास अतिरिक्त अप्रयुक्त क्षमताएं होने के बावजूद भारत में खपत के संबंध में आयात उच्च स्तर पर बने रहे हैं।

iii. वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने के बावजूद, उक्त वर्ष, साथ ही जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

iv. घरेलू उद्योग की वास्तविक और लक्षित कीमत की तुलना में कीमत कटौती सकारात्मक है।

v. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत से कम है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों ने भारत में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में ह्रास किया है। चूंकि, पहुंच कीमत बिक्री की वास्तविक लागत से कम है, आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पैदा कर रही हैं।

vi आवेदक की महत्वपूर्ण क्षमताएं अप्रयुक्त बनी हुई हैं और वे प्रक्षेपित क्षमता उपयोग को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

vii. घरेलू उद्योग हानियों का सामना कर रहा है और इसका आरओसीई ऋणात्मक है। इसे पाटित आयातों के कारण प्रक्षेपित लाभों और आरओसीई प्राप्त करने से रोका गया है।

viii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को भौतिक रूप से बाधित कर रहे हैं।

ix. चूंकि घरेलू उद्योग ने केवल वर्ष 2021-22 में ही वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है, जांच की अवधि के लिए कुछ क्षति संबंधी मापदंड सकारात्मक हैं।

x. अनुमानित लाभों, नियोजित पूंजी पर आय और उचित क्षमता उपयोग की तुलना में, पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग का वर्तमान निष्पादन उल्लेखनीय रूप से निचले स्तर पर है।

xi. संबद्ध आयातों को भारत में पाटित किया जा रहा है और पाटित मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

xii. आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है।

xiii. वर्तमान कीमतों पर, घरेलू उद्योग अपने अनुमानित निष्पादन को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।

ट. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

122. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा, अन्य के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा ऐसे किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना जरूरी है जो समान समय पर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों के कारण उत्पन्न क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जाए। कारक, जो इस संबंध में प्रासंगिक हो सकते हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा भी अन्य कारक घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान कर सकते हैं।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात शून्य हैं और पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान इनमें महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

ख. मांग में संकुचन

124. यह नोट किया गया है कि पूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

125. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा

126. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं।

ड. निर्यात निष्पादन

127. प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए ही आंकड़ों पर विचार किया है।

च. उत्पादकता

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति संबंधी जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है। इस प्रकार, ये घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं।

छ. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

129. इस प्रकटीकरण विवरण में विचार किए गए घरेलू उद्योग के निष्पादन संबंधी पैरामीटर केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन पर आधारित हैं। अत: कंपनी के अन्य उत्पादों के कारण हुई कोई भी क्षति प्रासंगिक नहीं है।

ठ. कारणात्मक संबंधों पर प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण

130. अत: यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते कि इन अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति झेलनी पड़ी है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या उत्पादन के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

i. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में कुल रूप में वृद्धि हुई है और उत्पादन और खपत के संबंध में यह महत्वपूर्ण रूप से लगातार उच्च बनी हुई है।
ii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की उपस्थिति के बावजूद महत्वपूर्ण बाजार हिस्से के लिए उत्तरदायी है। वास्तव में, अभी तक घरेलू उद्योग के हिस्से में, संबद्ध देश से निर्यातकों के द्वारा आक्रामक कीमत निर्धारण के कारण प्रासंगिक अवधि के दौरान उनकी उपलब्ध क्षमता के समानुपात में वृद्धि नहीं हुई है।
iii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक है। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में ह्रास किया है और परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी बिक्रियों की लागत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है।
iv. इस प्रकार, संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि सहित सकारात्मक कीमत से कम कीमत पर बिक्री के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन पर हानियां, नकदी प्रवाह और निवेशों पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई है।

ड. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

131. प्राधिकारी ने यह पहचान की है कि पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करना पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभ को दूर करेगा, घरेलू उत्पादकों की गिरावट को नियंत्रित करेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा। सामान्य रूप से पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन, भारतीय बाजार में एक मुक्त और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुन: स्थापना के लिए पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करना है, जो देश के सामान्य हित में है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करना किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इस प्रकार उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

132. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से सार्वजनिक हित पर महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रयोजन हेतु प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों से संबंधित रिकार्ड पर उपलब्ध जानकारी की जांच की।

133. प्राधिकारी ने आयाताकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए राजपत्रित अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांचों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। प्राधिकारी ने अन्य के साथ-साथ, विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की परस्पर विनिमेयता, स्रोतों को बदलने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, कारकों, जो पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के प्रति समायोजन को त्वरित या विलंबित कर सकते हैं, के संबंध में सूचना की मांग की है।

134. रिकार्ड पर उपलबध आंकड़ों के आधार पर, यह अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्कों को लागू किया जाना कुल मिला कर प्रयोक्ता उद्योग तथा जनता को प्रभावित नहीं करेगा। घरेलू उद्योग का दावा है कि अंतिम प्रयोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा और उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, इसे प्रतिपूरक आंकड़े / साक्ष्य उपलब्ध कराने वाले किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। तथापि, शुल्कों को लागू किया जाना संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई संगणना के अनुसार, वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों का अंतिम प्रयोक्ता पर लगभग 0.59 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा जो किसी भी मानदंड के अनुसार महत्वहीन है।

विवरण		**मात्रा/मूल्य**
अल्युमिनियम फ्रेम	क	3.2 कि.ग्रा.
अल्युमिनियम फ्रेम की बिक्री कीमत	ख	रूपए ***/फ्रेम
सोलर मॉड्यूल का मूल्य	ग	रूपए 15000/मॉड्यूल
अन्य संघटकों का मूल्य (जंक्शन बॉक्स, इंवर्टर, बैट्री, केबल्स, माउंटिंग संरचना आदि)	घ	रूपए14000/ मॉड्यूल
संस्थापना का कुल मूल्य	ड.=ग+घ	29,000/ मॉड्यूल
स्थापना के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में अल्युमिनियम फ्रेम लागत	च=ख/ड.	***%
20 प्रतिशत पर एडीडी की मात्रा	छ=ख*20%	रूपए 170/ मॉड्यूल
स्थापना के मूल्य की तुलना में अंतिम प्रयोक्ता पर एडीडी का प्रभाव	ज=छ/ई	0.59%

135. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भले ही विषयगत वस्तुओं के आयात पर 20% शुल्क की सिफारिश की गई हो, लेकिन इसका उपयोगकर्ता उद्योग पर कोई खास प्रभाव नहीं

पड़ेगा। हालांकि, ये शुल्क घरेलू उद्योग को विषयगत देश से डंप किए गए और नुकसानदायक आयातों से सुरक्षा प्रदान करेंगे।

ढ. प्रकटीकरण पश्चात अनुरोध

136. जून 2024 को प्रकटीकरण वक्तव्य जारी किया, जिसमें जांच में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया गया तथा सभी इच्छुक पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों में उठाए गए अधिकांश मुद्दे पहले ही उठाए जा चुके हैं तथा उन्हें ऊपर उचित रूप से संबोधित किया गया है। प्रासंगिक सीमा तक अतिरिक्त प्रस्तुतियों की नीचे जांच की गई है:

ढ.1 अन्य इच्छुक पक्षों की प्रस्तुतियाँ

137. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

क. निर्यातकों और आयातक अवाडा ने कहा है कि प्राधिकारी ने गलत तरीके से कहा है कि आयातकों के साथ घरेलू उद्योग के संबंध के बारे में साक्ष्य पहली बार जवाबी प्रस्तुतियों के चरण के दौरान प्रकट किए गए थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने लिखित प्रस्तुतियों और अन्य प्रस्तुतियों में केयर रेटिंग रिपोर्ट के रूप में साक्ष्य प्रदान किए हैं।

ख. निर्यातकों ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रत्युत्तर वक्तव्य के साथ-साथ दिनांक 05.06.2024 के अपने पत्र के माध्यम से आयातकों के साथ घरेलू उद्योग के संबंध के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।

ग. निर्यातकों ने कहा है कि उन्होंने आयातकों के साथ अपने संबंधों से संबंधित साक्ष्य घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराए, क्योंकि वे केवल जवाब प्रस्तुत करने के चरण तक ही व्यापक शोध के बाद ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम थे। चूंकि जवाब प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पक्षों के बीच साझा नहीं की जाती है, इसलिए उन्होंने भी यही तरीका अपनाया।

घ. हितबद्ध पक्षों ने विषयगत वस्तुओं के आयातकों के साथ आवेदक के संबंध से संबंधित अपने निवेदन दोहराए हैं।

ङ. इच्छुक पक्षों ने कहा है कि आवेदक द्वारा क्षमता विस्तार के बावजूद मांग-आपूर्ति में महत्वपूर्ण अंतर बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि हिंडाल्को को विषयगत वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में समय लगेगा।

च. आयातक ने कहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के संबंध में प्रभाव विश्लेषण गलत है, क्योंकि इसमें अन्य कच्चे माल पर एंटी-डंपिंग तथा सौर ऊर्जा और ताप विद्युत के बीच मूल्य तुलना को ध्यान में नहीं रखा गया है।

छ. निर्यातकों ने कहा है कि उनके पास साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि आवेदक ने जांच अवधि के बाद चीन जनवादी गणराज्य से विषयगत वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात किया है।

ज. हाइहोंग समूह और यूजिया मेटालिक ने अपने लैंड वैल्यू और निर्यात मूल्य के बारे में मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण ने उनके लैंड वैल्यू और निर्यात मूल्य को उनके द्वारा दावा किए गए मूल्य से बहुत कम आंका है।

झ. निर्यातकों ने कहा है कि आवेदक द्वारा एक ही निदेशक के साथ लगभग समान नामों के तहत दोहरे पंजीकरण को प्रदर्शित करने वाले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दस्तावेजों सहित सम्मोहक साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजूद, प्राधिकरण द्वारा जारी प्रकटीकरण वक्तव्य में इस महत्वपूर्ण बिंदु की स्पष्ट रूप से अनदेखी की गई है। यह चूक चिंताजनक है क्योंकि यह प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच में संभावित चूक का संकेत देती है जो एंटी-डंपिंग जांच की निष्पक्षता और अखंडता को प्रभावित कर सकती है।

ञ. निर्यातकों ने कहा है कि प्राधिकरण द्वारा घरेलू उद्योग को दी गई एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए एनआईपी से अधिक है। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण घरेलू

उद्योग को उसके द्वारा दावा किए गए एनआईपी से अधिक एनआईपी की अनुमति नहीं दे सकता है, इसके लिए कारण बताए बिना।

ट. प्राधिकरण ने प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया है।

ढ.2 घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ

138. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

क. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की पीठ पीछे निर्यातकों द्वारा बार-बार नए साक्ष्य और प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रकटीकरण विवरण के अनुसार निर्यातकों द्वारा पहली बार अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदान किए गए कुछ साक्ष्यों को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है। उन्होंने कहा है कि निर्यातकों द्वारा आज तक घरेलू उद्योग को ऐसे प्रस्तुतियाँ और साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं।

ख. घरेलू उद्योग ने कहा है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में निर्यातकों की विफलता प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद भी जारी रही, जब उन्होंने ई-मेल के माध्यम से घरेलू उद्योग के एनआईपी के बारे में प्रस्तुतियाँ साझा कीं। घरेलू उद्योग के एनआईपी से सीधे संबंधित ऐसी प्रस्तुतियाँ निर्यातकों द्वारा घरेलू उद्योग के साथ साझा की जानी चाहिए थीं। हालाँकि, उनके द्वारा ऐसी कोई प्रस्तुतियाँ साझा नहीं की गईं।

ग. निर्यातकों ने प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों और साक्ष्यों को घरेलू उद्योग के साथ साझा नहीं किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्राधिकारी को गुमराह करना तथा घरेलू उद्योग को निर्यातकों के जानबूझकर किए गए हेरफेर के प्रयासों को उजागर करने या गलत बयानों और चुनिंदा रूप से प्रस्तुत किए गए अंशों का खंडन करने के किसी भी अवसर से वंचित करना है।

घ. घरेलू उद्योग ने कहा है कि निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों को रिकार्ड में नहीं लिया जा सकता तथा इन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि इन पर विचार करने से घरेलू उद्योग के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा, साथ ही यह नियम 7 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत होगा।

ङ. प्रकटीकरण विवरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया है कि चीनी निर्यातकों ने विषयगत वस्तुओं को डंप कर दिया है, जिसके कारण भारत में उद्योग की स्थापना में भौतिक रूप से बाधा उत्पन्न हुई है। यह भी स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को अधिकांश क्षति मापदंडों के संबंध में क्षति हुई है।

च. मुख्य कच्चे माल अर्थात एल्युमीनियम की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण विषयगत वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं। इसलिए, वर्तमान मामले में संदर्भ मूल्य-आधारित शुल्क तर्कसंगत नहीं होगा। इसके अलावा, मूल्य-आधारित शुल्क में निर्यातकों और आयातकों द्वारा कम-इनवॉइसिंग का सहारा लेकर शुल्कों के प्रभाव को कम करने की स्पष्ट संभावना है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह अपनी निरंतर प्रथा के अनुसार निश्चित शुल्क दर पर शुल्क लगाने की सिफारिश करे।

छ. निर्यातक जानबूझकर और जानबूझकर एनआईपी के बारे में प्राधिकरण को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि निर्यातकों द्वारा दायर पत्र में बताए गए एनआईपी आंकड़े (3,17,941) घरेलू उद्योग द्वारा दायर अद्यतन एनसीवी से हैं। हालांकि, निर्यातकों ने इस तथ्य को छिपाया है कि तालिका में ही कहा गया है कि यह आंकड़ा घरेलू उद्योग का वास्तविक एनआईपी नहीं है। निर्यातक द्वारा दायर पत्र में भी, बताए गए एनआईपी में दो तारांकन चिह्न हैं, जिन्हें तालिका के ठीक नीचे यह कहते हुए समझाया गया है कि "** वास्तविक आंकड़ों को वास्तविक आंकड़े की सीमा - ± 10% में प्रदान किया गया है"।

ढ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

139. प्राधिकरण ने नोट किया है कि इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए अधिकांश अनुरोध दोहराव वाले हैं और उन्हें पहले ही ऊपर संबोधित किया जा चुका है। इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध, जहां तक प्रासंगिक हैं और अन्यत्र संबोधित नहीं किए गए हैं, नीचे जांचे गए हैं:

i. जहां तक हितबद्ध पक्षों के इस कथन का संबंध है कि यह गलत है कि उन्होंने विषयगत वस्तुओं के आयातकों के साथ घरेलू उद्योग के संबंध के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्युत्तर कथनों से पहले हितबद्ध पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों में केवल केयर रेटिंग रिपोर्ट ही शामिल थी। उक्त रिपोर्ट में विषयगत वस्तुओं के आयातकों और घरेलू उद्योग के बीच किसी भी संबंध का कहीं भी संकेत नहीं दिया गया है। यह केवल प्रत्युत्तर चरण में ही था कि निर्यातकों ने पहली बार कुछ कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों के अंश उपलब्ध कराए, जिनसे कथित रूप से संकेत मिलता है कि आवेदक कुछ आयातकों से संबंधित है। तथापि, जांच करने पर प्राधिकरण ने पाया कि उक्त अंश भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार संबंध दर्शा रहे थे। इसके अतिरिक्त, उक्त संबंध मुद्दे की जांच प्राधिकरण द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम के प्रासंगिक पैराग्राफों में पहले ही की जा चुकी है।
ii. निर्यातकों के इस कथन के संबंध में कि उन्होंने घरेलू उद्योग के साथ प्रासंगिक साक्ष्य साझा नहीं किए क्योंकि उन्हें ऐसे साक्ष्य केवल प्रत्युत्तर के चरण तक ही मिल सकते हैं और निदेशालय में प्रत्युत्तर कथनों को साझा न करने की प्रथा है, प्राधिकारी ने नोट किया कि दलीलों के सिद्धांतों के अनुसार, प्रत्युत्तर कथन में कोई नया कथन या साक्ष्य दाखिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि निर्यातक प्रत्युत्तर कथनों से पहले इसे दाखिल करने में सक्षम नहीं था, तो उसे ऐसे कथनों और साक्ष्यों का एक अगोपनीय संस्करण घरेलू उद्योग के साथ साझा करना चाहिए था। इसके अलावा, निर्यातक ने 05.06.2024 को पत्र दाखिल करते समय घरेलू उद्योग को एक प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई, जिसमें उनके द्वारा दाखिल किए गए ऐसे कथनों और साक्ष्यों को दोहराया गया था।

iii. जहां तक घरेलू उद्योग के इस तर्क का संबंध है कि आयातकों के साथ घरेलू उद्योग के कथित संबंधों के संबंध में निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतिकरण और साक्ष्यों को रिकार्ड में नहीं लिया जा सकता, प्राधिकारी दोहराते हैं कि ऐसे आरोपों के निहितार्थों को देखते हुए, इस मुद्दे की विस्तार से जांच करना आवश्यक था जैसा कि प्रकटीकरण विवरण में किया गया है और इन निष्कर्षों में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

iv. प्राधिकरण ने पाया कि प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद, निर्यातकों *अर्थात* हैहोंग समूह और यूजिया मेटालिक ने 26.06.2024 को ईमेल लिखकर उनके लिए गणना की गई भूमि मूल्य और निर्यात मूल्य में विसंगतियों की ओर इशारा किया। इस संबंध में, उक्त निर्यातकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और भूमि मूल्य और निर्यात मूल्य को उचित रूप से ठीक कर दिया गया है।

v. निर्यातकों के इस कथन के संबंध में कि उनके पास ऐसे साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में निर्यातकों द्वारा एक तालिका को छोड़कर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। निर्यातकों ने न तो कोई सहायक साक्ष्य उपलब्ध कराया है और न ही ऐसे आंकड़ों का स्रोत बताया है। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में प्राधिकारी की संपूर्ण जांच केवल जांच अवधि तक ही सीमित है।

vi. जहाँ तक निर्यातकों द्वारा आवेदक के नाम के लगभग समान नाम वाली एक अन्य कंपनी के अस्तित्व के बारे में प्रस्तुतीकरण का प्रश्न है, प्राधिकरण ने उक्त अन्य कंपनी के एमएसएमई प्रमाणपत्र को देखा है। उक्त कंपनी "अयस्क से तांबा और अन्य तांबा उत्पादों तथा मिश्रधातुओं" के विनिर्माण के लिए पंजीकृत है। उक्त कंपनी विचाराधीन उत्पाद से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं है।

vii. मांग-आपूर्ति अंतर से संबंधित प्रस्तुतिकरण के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि उसने पहले ही उपर्युक्त स्थान पर उक्त मुद्दे की जांच कर ली है।

viii. निर्यातकों के इस कथन के संबंध में कि घरेलू उद्योग को दी गई एनआईपी उनके द्वारा दावा की गई एनआईपी से अधिक है, यह नोट किया जाता है कि उक्त कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई एनआईपी प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुमति से अधिक है।

ix. निर्यातकों के इस कथन के संबंध में कि प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी दाखिल करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, प्राधिकरण ने नोट किया कि प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद निर्यातकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की गई थी और उनकी शिकायतों का समाधान, आवश्यकतानुसार किया गया है। यह भी नोट किया गया कि जांच की समयसीमा और एंटी-डंपिंग जांच की समयबद्ध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने पक्षों को प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणी दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया है।

x. प्राधिकरण ने नोट किया कि आयातक, वारी एनर्जीज ने प्रकटीकरण कथन पर टिप्पणियों का पालन करने के लिए दाखिल गए समय के बाद लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल की हैं। जाँच की समयबद्ध प्रकृति और अन्य इच्छुक पक्षों के प्रति निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने उक्त आयातक द्वारा विलंबित चरण में प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार न करने का निर्णय लिया है।

xi. जहां तक शुल्क की निश्चित दर की सिफारिश के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी ने ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है तथा शुल्क तालिका में दर्शाए अनुसार निश्चित मूल्य के आधार पर शुल्क की सिफारिश कर रहे हैं।

ण. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

140. उठाई गई शंकाओं के संबंध में, उपलब्ध कराई गई तथा ऊपर रिकार्ड की गई सूचना के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा पाटन के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के आधार पर, प्राधिकारी ये निर्णय देते हैं कि:-

i. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत को निर्यातित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ii. संबद्ध वस्तुओं के पाटन ने महत्वपूर्ण रूप से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को धीमा कर दिया है।

iii. संबद्ध आयातों की मात्रा भारत में वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने के बाद भी बढ़ी है।

iv. आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की लक्षित कीमतों से नीचे हैं और उन्होंने एक उचित कीमत प्राप्त करने से घरेलू उद्योग को रोका है।

v. वर्तमान कीमतों पर, घरेलू उद्योग अपने लक्षित निष्पादन को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।

vi घरेलू उद्योग की क्षमता का महत्वपूर्ण रूप से कम उपयोग किया गया है। वे 2022-23 (पीओआई) में भी वर्ष 2021-22 के अनुमानित क्षमता उपयोग को प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे।

vii. कम उपयोग की गई क्षमताओं के बावजूद, घरेलू उद्योग अनुचित रूप से कीमत निर्धारित किए गए आयातों के कारण संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में समर्थ नहीं है।

viii. अपने लाभों, नकद लाभों और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निराशाजनक है।

ix. पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

x. भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में भौतिक बाधा चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के डंप किए गए आयातों के कारण उत्पन्न हुई है।

xi. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से कुल मिला कर उपभोक्ताओं या डाउनस्ट्रीम उद्योग या जनता पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा।

xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और आयोजित की गई जांच के आधार पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।

141. पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए उपबंधों में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच आयोजित करने के पश्चात, प्राधिकारी का यह मत है

कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की भरपाई करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू करना अनिवार्य है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करना अनिवार्य समझते हैं।

142. अनुसरण किए गए कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के समकक्ष पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर नीचे परिशिष्ट में दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लेख की गई धनराशि के समकक्ष,पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक/ उपशीर्षक*	माल का विवरण	मूल का देश	निर्यात का देश	उत्पादक/निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	76109010, 76109030, 76169990	सोलर पैनल / मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड अल्यूमिनियम फ्रेम	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगयिन टिंजे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	433	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगयिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	505	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन.	जियांग्सू यूजिया मेटालिक टेक्नोलॉजी	403	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर

				गण. सहित कोई भी देश	कं, लिमिटेड			
4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड जियांगयिन हैहोंग सॉलिड-एफएसडब्लू कंपनी लिमिटेड	418	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	मेसर्स झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड मेसर्स जियाक्सिंग यूजिया मेटल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड	511	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
6.	-वही-	-वही-	चीन. जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 1-5 के अलावा कोई अन्य	577	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
7.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन. जन. गण.	उपरोक्त क्रम संख्या 1-5 के अलावा कोई अन्य	577	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर

***सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।**

143. इस प्रयोजन हेतु आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित निर्धाणीय मूल्य तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों के अलावा सीमा शुल्कों का लागू स्तर होगा।

त. आगे की प्रक्रिया

144. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केंद्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध किसी अपील को अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी